स्तंभ 3 प्रकटीकरण (समेकित)

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

डीएफ-1 : लागू करने का कार्यक्षेत्र

भारतीय स्टेट बैंक मूल कंपनी है, जिस पर बासेल III मानदंड लागू होते हैं। इस समूह के समेकित वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप होते हैं, जिनमें सांविधिक प्रावधान, विनियामक/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश, आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक/दिशानिर्देश नोट शामिल होते हैं।

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

क. समूह की उन इकाइयों की सूची, जिन्हें 31 मार्च 2019 को समाप्त अवधि के लिए समेकन हेतु विचार किया गया।

निम्नलिखित अनुषंगियों, संयुक्त उद्यमों एवं सहयोगियों को शामिल कर एसबीआई समूह के समेकित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा में विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (हाँ/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन के किसी एक विषय के आधार पर समेकन किया गया है, तो उसके कारण दें।
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
2	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
3	एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
4	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
5	एसबीआई कैप (यूके) लिमिटेड	यू के	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
6	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड	सिंगापुर	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
7	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
8	एसबीआई पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
9	एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
10	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
11	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
12	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
13	एसबीआई फंड्स मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
14	एसबीआई फंड्स मेनेजमेंट (इंटरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड	मारिशस	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
15	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
16	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलीफोर्निया)	यूएसए	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
17	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (है/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा के विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (है/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन किसी एक विषय के आधार पर किया गया हो, तो कारण बताएं
18	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	रूस	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
19	एसबीआई (मारिशस) लिमिटेड	मारिशस	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
20	पीटी बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया	इंडोनेशिया	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
21	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
22	नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
23	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	बोत्सवाना	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
24	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राजील	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
25	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	यूके	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	एएस 21 के अनुसार	लागू नहीं	लागू नहीं
26	एसबीआई इन्फ्रा मैनेजमेंट सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर वित्तीय अनुषंगीः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
27	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
28	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	बीमा संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
29	जीई कैपिटल बिजिनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 21 के अनुसार	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा विनियामक समेकन का विषय नहीं है
30	सी-एज टेक्नोलजीस लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	हाँ	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम : नियंत्रक द्वारा विनियामक समेकन का विषय नहीं है
31	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यम : नियंत्रक द्वारा विनियामक समेकन का विषय नहीं है
32	एसबीआई मैकवेरी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एसएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	गैर-वित्तीय संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा विनियामक समेकन का विषय नहीं है
33	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	सिंगापुर	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा विनियामक समेकन का विषय नहीं है
34	मैकवेरी एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड	बेरमुडा	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (है/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा के विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (है/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन किसी एक विषय के आधार पर किया गया हो, तो कारण बताएं
35	ओमन इंडिया ज्वाइंट इनवेस्टमेंट फंड-मेनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
36	ओमन इंडिया ज्वाइंट इनवेस्टमेंट फंड-मेनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
37	जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 27 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	संयुक्त उद्यमः नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं है
38	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
39	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
40	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
41	इलाकाई देहाती बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
42	मेघालय ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
43	लंगपी देहांगी ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
44	मध्यांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
45	मिजोरम ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
46	नागालैंड ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
47	पूर्वांचल बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
48	उत्कल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	क्या इकाई को समेकन लेखा में शामिल किया गया है (है/नहीं)	समेकन की पद्धति	क्या इकाई को समेकित लेखा के विनियामक कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है (है/नहीं)	समेकन की पद्धति	समेकन की पद्धति में अंतर का कारण	यदि समेकन किसी एक विषय के आधार पर किया गया हो, तो कारण बताएं
49	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी:नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
50	वनांचल ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
51	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
52	राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
53	तेलंगाणा ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
54	कावेरी ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
55	मालवा ग्रामीण बैंक	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
56	द क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं
57	बैंक ऑफ भूटान लिमिटेड	भारत	हाँ	एएस 23 के अनुसार	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	सहयोगी : नियंत्रक द्वारा समेकन का विषय नहीं

ख. समूह की उन संस्थाओं की 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार सूची, जिन्हें लेखा और नियंत्रक दोनों के समेकन में शामिल नहीं किया गया है

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहां निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलनपत्र ईक्विटी (जैसे कि विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	संस्था के पूंजीगत लिखतों में बैंक के निवेशों को नियंत्रक द्वारा मान्यता	कुल तुलनपत्र आस्तियां (जैसे कि विधिक संस्था के तुलनपत्र में उल्लिखित है)
1	एसबीआई फाउंडेशन	भारत	एक अलाभकारी कंपनी जो कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) कार्यकलापों पर ध्यान दे सके	15.57	99.72%		15.62
2	एसबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड	भारत	परिसमापन के अधीन	लागू नहीं	25.05%		लागू नहीं

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण :

ग. नियंत्रक समेकन में शामिल संस्थाओं की 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्था का नाम	देश जहाँ निगमन हुआ	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल तुलन पत्र आस्तियाँ (जैसे विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)
1	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड	भारत	मर्चेन्ट बैंकिंग एवं सलाहकारी सेवाएँ	1,417.44	1,464.72
2	एसबीआई कैप सिक्युरिटीज लिमिटेड	भारत	सिक्युरिटीज ब्रोकिंग एवं इसकी सहायक सेवाएँ तथा वित्तीय उत्पादों का अन्य पक्ष को वितरण	274.81	626.70
3	एसबीआई कैप ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	भारत	कॉरपोरेट ट्रस्टीशिप कार्यकलाप	90.96	105.12
4	एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड	भारत	वेंचर कैपिटल फंड के लिए आस्ति प्रबंधन कंपनी	60.55	63.13
5	एसबीआई कैप (सिंगापुर) लिमिटेड	सिंगापुर	व्यवसाय एवं प्रबंधन सलाहकार सेवाएँ	59.24	59.81
6	एसबीआई कैप (यूके) लिमिटेड	यूके	कॉरपोरेट वित्त की व्यवस्था करना और सलाहकारी सेवाएँ प्रदान करना	1.91	2.06
7	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड	भारत	सरकारी प्रतिभूतियों में प्राथिमिक विक्रेता	953.19	7,206.09
8	एसबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए ट्रस्टीशिप सेवाएँ	30.24	30.27
9	एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लिमिटेड	भारत	फ़ैक्टरिंग सेवाएँ	325.93	1,302.75
10	एसबीआई पेंशन फंड्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	एनपीएस ट्रस्ट को उन्हें आबंटित आस्तियों का प्रबंधन	38.39	39.00
11	एसबीआई पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	पेमेंट सोल्युशन सर्विसेस	1,509.95	1,584.55
12	एसबीआई फंड्स मेनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	भारत	एसबीआई म्यूचुअल फंड द्वारा शुरू की गई योजनाओं के लिए आस्ति प्रबंधन सेवाएँ	1,314.66	1,565.80
13	एसबीआई फंड्स मेनेजमेंट (इन्टरनेशनल) प्राइवेट लिमिटेड	मॉरिशस	निवेश प्रबंधन सेवाएँ	2.03	2.96
14	एसबीआई काड्र्स एंड पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	क्रेडिट कार्ड व्यवसाय	2,856.19	19,257.82
15	एसबीआई - एसजी ग्लोबल सिक्युरिटीज सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	भारत	कस्टडी एवं फंड एकाउंटिंग सेवाएँ	159.91	167.91
16	एसबीआई बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड	भारत	कार्ड प्रोसेसिंग एवं अन्य सेवाएँ	401.38	604.60
17	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	यूएसए	बैंकिंग सेवाएँ	945.08	5,458.48
18	एसबीआई कनाडा बैंक	कनाडा	बैंकिंग सेवाएँ	779.22	5,766.39
19	कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मास्को	रूस	बैंकिंग सेवाएँ	205.46	498.76
20	एसबीआई (मॉरिशस) लिमिटेड	मारिशस	बैंकिंग सेवाएँ	1,037.08	6,235.40
21	पीटी बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया	इन्डोनेशिया	बैंकिंग सेवाएँ	694.08	2,458.21
22	नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल	बैंकिंग सेवाएँ	843.77	7,311.49
23	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	यूके	बैंकिंग सेवाएँ	1,658.39	14,512.00
24	बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	बोत्सवाना	बैंकिंग सेवाएँ	73.85	279.38
25	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सर्विकोस लिमिटाडा	ब्राजील	प्रतिनिधि कार्यालय सेवाएँ	1.46	1.53
26	नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिंग लिमिटेड	नेपाल	मर्चेन्ट बैंकिंग एवं सलाहकारी सेवाएँ	13.51	13.73

(घ) सभी अनुषंगियों में पूंजी की कमी की कुल राशि जो नियंत्रक समेकन के क्षेत्र में शामिल नहीं है, अर्थात जो घटा दी गई है :

अनुषंगी का नाम/उस देश का नाम, जहां निगमन हुआ है	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलनपत्र ईक्विटी (जैसे कि विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूंजी की कमी
निरंक				

(ङ) बीमा संस्थाओं में बैंक के उन कुल हितों की सकल राशि, (अर्थात वर्तमान बही मूल्य)जो जोखिम भारित है :

अनुषंगी का नाम/उस देश का नाम, जहां निगमन हुआ है	संस्था का प्रमुख कार्यकलाप	कुल तुलनपत्र ईक्विटी (जैसे कि विधिक संस्था के लेखा तुलन पत्र में उल्लिखित है)	कुल ईक्विटी में बैंक की धारिता का %	पूर्ण कटौती पद्धति का उपयोग न करके जोखिम भार पद्धति का उपयोग करने पर नियंत्रक पूंजी पर मात्रात्मक प्रभाव
निरंक				

(च) बैंकिंग समूह के भीतर निधियों या नियंत्रक पूंजी के अंतरण में कोई प्रतिबंध अथवा बाधा:

अनुषंगियाँ	प्रतिबंध
एसबीआई कैलीफोर्निया	विनियमों के अनुसार मूल बैंक को पूंजी हस्तांतरित करने का एक मात्र माध्यम लाभांश का भुगतान अथवा शेयरों का बाइबैक अथवा मूल बैंक को पूंजी का प्रत्यावर्तन है।
एसबीआई कनाडा	मूल बैंक को किसी भी प्रकार की पूंजी (ईक्विटी अथवा ऋण) हस्तांतरित करने से पूर्व नियामक की पूर्व अनुमति।
बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	बैंक ऑफ बोत्सवाना की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात बैंकिंग समूह/समूह कंपनी में नियामक पूंजी का हस्तांतरण अनुमत है। बैंक द्वारा आज की तिथि में पूंजी के रखरखाव के लिए बोर्ड द्वारा सांविधिक लेखा-परीक्षक के प्रमाणपत्र से इसे अनुमोदित करवाना चाहिए।
एसबीआई मॉरिशस लिमिटेड	मूल बैंक सहित शेयरधारकों को लौटा दी जानी वाली बैंक की पूंजी कम करने पर विनियामक प्रतिबंध हैं। पूंजी में कोई भी कमी या तो लाभांश के भुगतान या वर्णित पूँजी में कमी करके जैसा कि बैंकिंग अधिनियम एवं मॉरिशस के कंपनी अधिनियम में दिया गया है, के माध्यम से ही हो सकते है। भुगतान की जानी वाली राशि, एसबीआईएमएल के पार्याप्त पूँजी धारण और तरलता अनुपात की विनियामक आवश्यकताओं के अधीन है।
	(क) जब तक पूँजी के रूप में बताई गई राशि अथवा समनुदेशित पूँजी की राशि अथवा 200 मिलियन रुपयों के बराबर की राशि को बैंक द्वारा मारिशस में बनाए रखा नहीं जाता, तब तक केंद्रीय बैंक उसे कोई भी लाइसेन्स नहीं देगा अथवा बैंक बैंकिंग लाइसेन्स रख नहीं सकता।
	(ख) प्रत्येक बैंक 10 प्रतिशत अथवा बैंक की जोखिम आस्तियों एवं अन्य प्रकार की जोखिमों के मामले में केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित उच्चतर अनुपात में मारिशस में पूँजी बनाए रखेगा।
बैंक एसबीआई इन्डोनेशिया	बैंक को बुक II बैंक के साथ साथ विदेशी विनिमय बैंक के रूप में परिचालन करने के योग्य बनने के लिए न्यूनतम विनियामक पूँजी रखना होगा। तथापि पर्याप्त लाभ कमाने के बाद लाभांश के रूप में निधियों के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी।
नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	नेपाल के कानून के अंतर्गत कंपनी की आस्तियां एवं देयताएँ विशेष और गैर-हस्तांतरणीय होती हैं। इसीलिए बैंकिंग समूह के भीतर निधियों अथवा विनियामक पूँजी का हस्तांतरण संभव नहीं है।
सीआईबीएल	बैंकिंग समूह के भीतर निधियों अथवा विनियामक पूँजी के हस्तांतरण पर कोई भी प्रतिबंध अथवा बाधाएँ नहीं हैं।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके) लिमिटेड	विनियामक न्यूनतम आवश्यकता से अधिक पूँजी होने पर एसबीआई यूके बोर्ड तथा विनियामक पीआरए के अनुमोदन से अतिरिक्त पूँजी मूल बैंक को (लाभांश अथवा कम की गई पूँजी के द्वारा) वापस की जा सकती है। तथापि एसबीआई (यूके) लिमिटेड विनियामक व्यवसाय आयोजना में पीआरए के प्रति प्रतिबद्ध है कि वह अनुषंगी के विकास और उसकी पूंजीगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मध्यावधि में पूँजी कम नहीं करेगा अथवा लाभांश घोषित नहीं करेगा।

तालिका डीएफ-2

पूँजी पर्याप्तता
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) वर्तमान एवं भविष्य की गतिविधियों के लिए अपनी पूँजी पर्याप्तता की स्थिति के आकलन की बैंक की पद्धति का संक्षिप्त विवेचन।	• भारतीय रिज़र्व बैंक की नए पूँजी पर्याप्तता संरचना (एनसीएएफ) दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक एवं उसकी बैंकिंग अनुषंगियाँ वार्षिक आधार पर आंतरिक पूँजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया अपनाती है। इस आईसीएएपी में पूँजी आयोजन प्रक्रिया का पूरा ब्योरा दिया जाता है और इसमें निम्नलिखित के जोखिमों के मापन, निगरानी, आंतरिक नियंत्रण, रिपोर्टिंग, पूँजी आवश्यकता एवं तनाव परीक्षण के साथ मूल्यांकन किया जाता है : • ऋण जोखिम • परिचालन जोखिम • चलनिधि जोखिम • अनुपालन जोखिम • पेंशन निधि दायित्व जोखिम • प्रतिष्ठा जोखिम • ऋण जोखिम न्यूनीकरण से शेष जोखिम • बीमा व्यवसाय संबंधी जोखिम • साइबर जोखिम • बाजार जोखिम • ऋण संकेन्द्रण जोखिम • बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम • देश जोखिम • हामीदारी जोखिम • कार्यनीतिक जोखिम • मॉडल जोखिम • संक्रामक जोखिम • प्रतिभा जोखिम • भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अनुषंगियों/संयुक्त उद्यमों में अनुमानित निवेश भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके अनुषंगियों (देशी/विदेशी) के अग्रिमों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 3 से 5 वर्षों की मध्यम अवधि के लिए संवेदनशीलता विश्लेषण वार्षिक आधार पर अथवा जरूरत के अनुसार उससे अधिक बार किया जाता है। यह विश्लेषण भारतीय स्टेट बैंक एवं स्टेट बैंक समूह के लिए अलग अलग किया जाता है। • बैंक एवं समूह का सीआरएआर 3 से 5 वर्षों की मध्यम अवधि के लिए विनियामक सीएआर से अधिक होने की संभावना है। तथापि पर्याप्त पूंजी बनाए रखने के लिए बैंक के पास ईक्विटी के अलावा जब कभी भी जरूरत होने पर अधीनस्थ ऋण, शाश्वत संचयी अधिमान शेयर (पीसीपीएस), मोचनीय असंचयी अधिमान शेयर (आरएनसीपीएस), मोचनीय संचयी अधिमान शेयर (आरसीपीएस), शाश्वत ऋण लिखत (पीडीआई) एवं शाश्वत असंचयी अधिमान शेयर द्वारा अपने पूंजी संसाधन बढ़ाने का विकल्प होगा। • विदेशी अनुषंगियों की कार्यनीतिक पूंजी आयोजन में आस्तियों की वृद्धि के लिए आवश्यक पूंजी का निर्धारण तथा विभिन्न स्थानीय विनियामक एवं विवेकपूर्ण मानदंडों की पूर्ति के लिए अपेक्षित पूंजी शामिल होती है। आस्तियों के संवर्धित स्तर को सहायता देने तथा पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने के लिए सीईटी 1/एटी 1/टियर 2 की पूंजी जुटाने की वैयक्तिक अनुषंगियों की क्षमता के बारे में संतुष्ट होने के बाद संवृद्धि आयोजना का अनुमोदन मूल बैंक द्वारा किया जाएगा।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(ख)	ऋण जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यता:	
	• मानक पद्धति के लिए पूंजी की आवश्यकता	₹ 1,43,298.45 करोड़
	• निवेश का प्रतिभूतिकरण	₹ निरंक
		.....
		कुल ₹1,43,298.45 करोड़
(ग)	बाजार जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता :	
	• मानक अवधि पद्धति ;	₹ 11,328.79 करोड़
	- ब्याज दर जोखिम	₹ 188.60 करोड़
	- विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित)	₹ 4,881.52 करोड़
		.....
	- ईक्विटी जोखिम	**कुल ₹16,398.91 करोड़**
(घ)	परिचालन जोखिम के लिए पूंजी की आवश्यकता :	
	• मूल संकेतक पद्धति	₹ 18,988.48 करोड़
	• मानक पद्धति (यदि लागू हो)	.....
		कुल ₹18,988.48 करोड़

(ङ) ईक्विटी साझा 1, श्रेणी 1 एवं कुल पूंजी अनुपात:
- शीर्ष समेकित समूह के लिए तथा
- बैंक की महत्वपूर्ण अनुषंगियों के लिए (एकल या उप-समेकित जो इस पर निर्भर है कि मानदंड किस प्रकार लागू किए जाते हैं)

31.03.2019 को पूंजी पर्याप्तता अनुपात

	सीईटी 1 (%)	श्रेणी 1 (%)	कुल (%)
एसबीआई समूह	9.78	10.78	12.83
भारतीय स्टेट बैंक	9.62	10.65	12.72
एसबीआई (मारीशस) लिमिटेड	23.30	23.30	24.20
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)	14.88	14.88	16.84
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (केलीफोर्निया)	16.64	16.64	17.67
कामर्शियल इंडो बैंक एलएलसी मास्को	36.70	36.70	36.70
बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	29.89	29.89	30.68
नेपाल एसबीआई बैंक लिमिटेड	13.20	13.20	14.79
बैंक एसबीआई बोत्सवाना लिमिटेड	24.95	24.95	26.11
एसबीआई (यूके) लिमिटेड	13.82	13.82	17.60

डीएफ-3 : ऋण जोखिम : सामान्य प्रकटीकरण

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

- **पिछले बकायों और ह्रासित आस्तियों की परिभाषा (लेखाकरण के उद्देश्य से)**

अनर्जक आस्तियां

(i) किसी भी आस्ति से जब बैंक के लिए आय अर्जित होना बंद हो जाती है, तब वह अनर्जक आस्ति बन जाती है। 31 मार्च 2006 से ऐसे अग्रिमों को अनर्जक आस्ति (एनपीए) माना जाता है, जहां मीयादी ऋण के मामले में ब्याज तथा/अथवा मूल राशि का किस्त 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता हो।

(ii) कोई ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) खाता 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहता है

(iii) खरीदे गए और भुनाए गए बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अनियमित' रहता है

(iv) अन्य प्रकार के खातों में प्राप्त होने वाली राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए 'अतिदेय' रहती है

(v) अल्पावधि फसलों के लिए संस्वीकृत किसी ऋण को तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज दो फ़सली मौसमों के लिए अतिदेय रहता है। दीर्घावधि फसलों के लिए संस्वीकृत किसी ऋण को तब एनपीए माना जाता है, जब मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज एक फ़सली मौसम के लिए अतिदेय रहता है; और

(vi) किसी खाते को एनपीए के रूप में तब वर्गीकृत किया जाएगा, जब किसी तिमाही में लगाया गया ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिन के अंदर अदा न किया गया हो।

(vii) प्रतिभूतिकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक के 1 फरवरी 2006 के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिभूतिकरण लेनदेनों के संबंध में चलनिधि की राशि 90 दिनों से अधिक अवधि के लिए बकाया हो।

(viii) डेरिवेटिव्स लेनदेनों के संबंध में, डेरिवेटिव संविदा के बाजार मूल्य की अनुकूलता का प्रतिनिधित्व करने वाली अतिदेय प्राप्त राशियाँ भुगतान के लिए निर्दिष्ट देय तिथि से 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अप्रदत्त रहती हो।

'अनियमित श्रेणी' स्थिति

किसी खाते को उस स्थिति में 'अनियमित' माना जाता है, जब बकाया राशि लगातार संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से ज्यादा रहती हो।
उन मामलों में जहां मूल परिचालन खाते में बकाया राशि संस्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम हो, पर बैंक के तुलनपत्र की तारीख तक लगातार 90 दिनों के लिए कोई जमा नहीं हो अथवा जहां उसी अवधि के दौरान नामे की गई ब्याज के लिए जमा पर्याप्त न हो तो, ऐसे खातों को 'अनियमित' माना जाता है।

'अतिदेय'

किसी भी ऋण सुविधा के तहत ऋणी द्वारा बैंक को देय कोई भी राशि तब 'अतिदेय' मानी जाती है, जब वह बैंक द्वारा निर्धारित तारीख को अदा न की गई हो।

- **तनावग्रस्त आस्तियों का समाधान**

तनाव की शीघ्र पहचान एवं रिपोर्टिंग :
निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए) के रूप में तनावग्रस्त आस्तियों का वर्गीकरण करते हुए चूक* होने के तुरंत बाद ऋण खातों में निहित तनाव की पहचान करना :

एसएमए उप-श्रेणियाँ	वर्गीकरण का आधार-मूलधन अथवा ब्याज अथवा अन्य कोई राशि का भुगतान जो पूर्णतया अथवा अंशतया बकाया हो
एसएमए-0	1-30 दिन
एसएमए-1	31-60 दिन
एसएमए-2	61-90 दिन

* ऋण की किस्त की पूर्ण अथवा आंशिक राशि जब बकाया और देय हो तथा ऋणी अथवा कॉरपोरेट ऋणी द्वारा वह अदा न की जाती हो, तब 'चूक' मानी जाएगी। कैश क्रेडिट जैसी परिक्रामी सुविधाओं के मामले में संस्वीकृत सीमा अथवा आहरण अधिकार इनमें से जो भी कम हो, से अधिक राशि 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए लगातार बकाया होने की स्थिति में उपर्युक्त पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के उसे चूक माना जाएगा।

बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन नीति पर चर्चा

बैंक में एकीकृत ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम कम करने एवं सांपार्श्विक प्रबंधन की नीति विद्यमान है, जिसकी वार्षिक समीक्षा की जाती है। कुछ वर्षों से इससे संबन्धित नीति एवं कार्यविधियों में उभरती संकल्पनाओं एवं वास्तविक अनुभव के परिणामस्वरूप सुधार किया गया है। नीति एवं कार्यविधियों को बासेल-II एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों में निर्धारित दृष्टिकोण के अनुरूप बनाया गया है।

ऋण जोखिम प्रबंधन में ऋण जोखिम की पहचान, उसका निर्धारण, मापन, निगरानी एवं नियंत्रण सम्मिलित है।

ऋण जोखिम की पहचान एवं निर्धारण की प्रक्रियाओं के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं :

(i) प्रतिपक्ष जोखिम का निर्धारण करने के लिए विभिन्न जोखिमों को ध्यान में लेते हुए ऋण जोखिम निर्धारण मॉडल/स्कोरिंग मॉडल तैयार और परिष्कृत करना। इन जोखिमों को मोटे तौर पर वित्तीय, व्यावसायिक, औद्योगिक एवं प्रबंधन जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें से हर एक का अलग-अलग स्कोर तैयार किया जाता है।

(ii) औद्योगिक अनुसंधान करना, जिससे बड़े/महत्वपूर्ण उद्योगों के पोर्टफोलियो को संभालने के लिए नीतिगत उपचार सुझाए जाएँ और मात्रात्मक जोखिम मापदंड निर्धारित किए जाए। यह कार्य समय-समय पर उद्योगों/क्षेत्रों के लिए सामान्य परामर्शक दृष्टिकोण जारी कर किया जाए।

ऋण जोखिम के मापन में ऋण जोखिम के सभी घटकों यथा चूक की संभावना, ऋण चुकौती में चूक करने पर हुई हानि और ऋण चुकौती में चूक करने से जुड़ी जोखिम आदि की गणना की जाती है।

ऋण जोखिम की निगरानी और नियंत्रण में जोखिम सीमाएं निर्धारित करना शामिल है। एकल ऋणी, ऋणी समूह और उद्योगों को दिए गए ऋणों में समुचित विविधता लाना इस सीमा-निर्धारण का उद्देश्य है। बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम के केन्द्रीकरण से बचने के लिए वैयक्तिक कंपनियों, समूह कंपनियो, बैंकों, वैयक्तिक ऋणियों, गैर-कॉरपोरेट इकाइयों, संवेदनशील क्षेत्रों जैसे पूंजी बाजार, भू-संपदा, संवेदनशील पण्यों आदि के संबंध में विवेकपूर्ण जोखिम मानदंडों से संबन्धित आंतरिक दिशा-निर्देश विद्यमान हैं। इकाइयों द्वारा ऋण जोखिम दबाव परीक्षण किए जाते हैं, जिससे जहां आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए जोखिम वाले क्षेत्रों का पता लगाया जा सके।

बैंक में ऋण नीति विद्यमान है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संविभाग के अंदर आस्तियों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हो। साथ ही साथ इसका उद्देश्य लचीलेपन और नवोन्मेष के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ते हुए ऋण की मूलभूत बातें, मूल्यांकन निपुणताएँ, दस्तावेजी मानक और संस्थात्मक चिंता एवं कार्यनीतियों के प्रति जागरूकता से संबन्धित समान दृष्टिकोण स्थापित करके संविभाग स्तर पर आस्तियों की समग्र गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाना भी है।

ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं यथा मूल्यांकन, कीमत-निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकार, प्रलेखन, रिपोर्टिंग एवं निगरानी, ऋण सुविधाओं की समीक्षा एवं नवीकरण, समस्याग्रस्त ऋणों का प्रबंधन, ऋण निगरानी आदि के लिए प्रक्रियाएँ और नियंत्रण बैंक में विद्यमान हैं। ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली भी बैंक में मौजूद है। ₹ 10 करोड़ और इससे अधिक की जोखिम वाले वाणिज्यिक ऋण संविभाग की गुणवत्ता को निरंतर उन्नत बनाना इस प्रणाली का उद्देश्य है। ऋण लेखा-परीक्षा में ऋण मंजूरी के विभिन्न स्तरों पर किए गए निर्णयों की लेखा-परीक्षा की जाती है। मंजूरी पूर्व की प्रक्रियाओं और मंजूरी के बाद की स्थिति दोनों की लेखा-परीक्षा की जाती है। ऋण लेखा-परीक्षा में जोखिमों की पहचान की जाती है और उन्हें कम करने के उपाय भी सुझाए जाते हैं।

डीएफ-3: दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार मात्रात्मक प्रकटीकरण (बीमा इकाइयां, संयुक्त उद्यम एवं गैर-वित्तीय इकाइयों को छोड़कर)

सामान्य प्रकटीकरण :

(₹ करोड़ में)

	मात्रात्मक प्रकटीकरण	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	योग
ख	ऋण जोखिम की कुल राशि	2334946.70	409149.70	2744096.40
ग	जोखिम राशि का भौगोलिक संवितरण : एफबी/एनएफबी			
	विदेशी	335714.97	45173.33	380888.30
	देशीय	1999231.73	363976.37	2363208.10
घ	जोखिम राशि का उद्योग के प्रकार के अनुसार वितरण निधि आधारित/गैर-निधि आधारित का अलग-अलग	कृपया तालिका 'क' देखें		
ङ	आस्तियों का शेष संविदात्मक परिपक्वता विश्लेषण	कृपया तालिका 'ख' देखें।		
च	अनर्जक आस्तियों की राशि (कुल) अर्थात (i से v का योग)			173588.54
	i. अव मानक			26136.88
	ii. संदिग्ध 1			34797.74
	iii. संदिग्ध 2			78115.25
	iv. संदिग्ध 3			25071.59
	v. हानिप्रद			9467.08
छ	निवल अनर्जक आस्तियां			66044.07
ज	अनर्जक आस्ति अनुपात			
	i) सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनर्जक आस्तियां			7.43%
	ii) निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनर्जक आस्तियां			2.97%
झ	अनर्जक आस्तियों में वृद्धि-कमी (कुल)			
	i) प्रारम्भिक शेष			225104.51
	ii) वृद्धि			33730.19
	iii) कमी			85245.11
	iv) अंतिम शेष			173589.59
ञ	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
	i) प्रारम्भिक शेष			113581.21
	ii) अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			55712.38
	iii) अपलेखन			61663.24
	iv) अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			85.88
	v) अंतिम शेष			107544.47
ट	अनर्जक निवेशों की राशि			5738.38
ठ	अनर्जक निवेशों के लिए धारित प्रावधानों की राशि			4288.77
ड	निवेशों के मूल्यह्रास हेतु प्रावधानों में वृद्धि-कमी			
	प्रारम्भिक शेष			10206.44
	अवधि के दौरान किए गए प्रावधान			567.61
	जोड़ें: विदेशी मुद्रा पुनर्मूल्यन समायोजन			-
	अपलेखन			228.88
	अतिरिक्त प्रावधानों का प्रतिलेखन			879.04
	अंतिम शेष			9666.13
ढ	बड़े उद्योग या प्रति पक्ष प्रकार द्वारा			
	एनपीए की राशि और यदि उपलब्ध हो, तो पिछला बकाया ऋण का विवरण अलग से दें ,			100306.83
	निर्दिष्ट एवं समान्य प्रावधान; और			-
	चालू अवधि के दौरान निर्दिष्ट प्रावधान और अपलिखित राशि			-
ण	एनपीए की राशि और पिछले बकाया ऋण, जिनके लिए महत्वपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र वार अलग-अलग प्रावधान			-
	प्रावधान			-

तालिका- क : डीएफ (डी) दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार एक्सपोजरों का औद्योगिक वितरण

(₹ करोड़ में)

कोड	उद्योग	निधि आधारित (शेष राशियां)			गैर-निधि आधारित (शेष राशियां)
		मानक	अनर्जक आस्ति	कुल	
1	कोयला	1907.78	399.00	2306.78	2102.25
2	खदान	4305.05	111.37	4416.42	1553.53
3	लोह एवं इस्पात	65632.86	25837.06	91469.92	27892.95
4	धातु उत्पाद	32144.68	2343.90	34488.58	9459.96
5	सभी अभियांत्रिकी	31547.12	11291.34	42836.46	76561.99
5.1	जिसमें से इलेक्ट्रानिक	4645.90	4414.68	9060.58	2687.67
6	बिजली	9903.46	0.00	9903.46	0.00
7	सूती वस्त्र	22890.53	5439.76	28330.29	1708.79
8	जूट वस्त्र	383.52	40.07	423.59	31.20
9	अन्य वस्त्र	11805.28	2504.97	14310.25	1756.97
10	चीनी	7477.27	1028.46	8505.73	1017.48
11	चाय	583.70	144.25	727.95	32.84
12	खाद्य प्रसंस्करण	48429.45	6530.22	54959.67	2572.64
13	वनस्पति तेल एवं वनस्पति	3409.91	2376.55	5786.46	2484.95
14	तंबाकू/तंबाकू उत्पाद	717.83	22.21	740.04	151.62
15	कागज/कागज उत्पाद	4140.04	641.66	4781.70	1153.22
16	रबड़/रबड़ उत्पाद	7707.68	548.99	8256.67	2650.89
17	रसायन/रंग/रोगन आदि	99608.43	3994.46	103602.89	61887.83
17.1	जिसमें से उर्वरक	15984.54	995.21	16979.75	7252.59
17.2	जिसमें से पेट्रोरसायन	61932.02	354.11	62286.13	45975.01
17.3	जिसमें से दवाइयाँ एवं औषधियाँ	12312.33	1339.36	13651.69	2064.27
18	सीमेंट	14072.39	1053.22	15125.61	4037.54
19	चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद	2294.91	334.55	2629.46	338.64
20	रत्न एवं आभूषण	12408.40	797.59	13205.99	1636.70
21	निर्माण	29085.88	1355.17	30441.05	7999.57
22	पेट्रोलियम	34484.34	2057.61	36541.95	21939.04
23	आटोमोबाइल/एवं ट्रक	12336.59	3592.43	15929.02	6600.94
24	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	1811.28	58.83	1870.11	1071.71
25	इन्फ्रास्ट्रक्चर	314266.93	47691.13	361958.06	82934.01
25.1	जिसमें से बिजली	178655.83	25346.00	204001.83	25317.46
25.2	जिसमें से दूरसंचार	18736.29	7608.62	26344.91	9273.60
25.3	जिसमें से मार्ग एवं बन्दरगाह	46484.91	8292.02	54776.93	24547.41
26	अन्य उद्योग	302681.32	20810.02	323491.34	47620.91
27	एनबीएफसी एवं शेयरों की खरीद-फरोख्त	344702.64	11608.73	356311.36	18143.94
28	शेष अग्रिम	740618.90	20974.99	761593.89	23807.59
	योग	**2161358.16**	**173588.54**	**2334946.70**	**409149.70**

तालिका - ख

डीएफ-3 (ई) भारतीय स्टेट बैंक (समेकित) 31.03.2019* की स्थिति के अनुसार आस्तियों की शेष संविदागत परिपक्वता

(₹ करोड़ में)

	अंतर्वाह	1 दिन	2-7 दिन	8-14 दिन	15-30 दिन	31 दिन एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
1	नकदी	19001.21	3.94	0.00	0.32	3.36	0.77	1.81	2.05	2.00	2.50	5.23	19023.19
2	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमाशेष	43277.09	2070.49	1100.77	1595.48	2068.17	1717.89	4300.45	25534.82	28427.37	12679.99	₹35424.43	158196.95
3	अन्य बैंकों के पास जमाशेष	29340.97	2531.00	2948.38	5287.83	3037.40	3116.30	1793.84	434.64	1040.26	1113.38	66.37	50710.37
4	निवेश	6092.05	6552.79	2574.97	13757.30	9146.71	23875.10	25971.20	43994.61	169072.43	184035.77	499171.60	984244.53
5	अग्रिम	24024.60	15136.74	13500.93	43620.82	35227.95	36887.02	75150.16	104282.37	1100046.57	296182.95	490588.07	2234648.18
6	अचल आस्तियां	34.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.86	19.88	39591.15	39651.72
7	अन्य आस्तियां	33503.77	23289.39	24349.47	22521.90	19541.72	18570.38	26265.81	21854.28	21136.98	20909.13	36926.20	268869.04
	कुल	**155274.52**	**49584.35**	**44474.52**	**86783.65**	**69025.31**	**84167.46**	**133483.27**	**196102.77**	**1319731.47**	**514943.60**	**1101773.05**	**3755343.98**

*टिप्पणियां :

i) बीमा संस्थाएं, गैर-वित्तीय संस्थाएं, संयुक्त उद्यम, विशेष प्रयोजन माध्यम एवं अंतः-समूह समायोजन शामिल नहीं किए गए हैं।

ii) निवेश में अनर्जक निवेश शामिल है और अग्रिमों में अनर्जक अग्रिम शामिल हैं।

iii) उक्त बकेटिंग संरचना में तालिका 23 मार्च, 2016 के आरबीआई दिशानिर्देशों के आधार पर संशोधन किया गया है।

डीएफ-4: ऋण जोखिम : मानकीकृत पद्धति के अंतर्गत संविभागों के प्रकटीकरण

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटन

- **प्रयुक्त क्रेडिट एजेंसियों के नाम, साथ में यदि कोई परिवर्तन हुए हों, तो उनके कारण भी**

(क) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने देशीय और विदेशी ऋण जोखिमों की रेटिंग के लिए क्रमशः केयर, क्रिसिल, आईसीआरए, इंडिया रेटिंग, ब्रिकवर्क, एसीयूआईटीई रेटिंग्स एवं रिसर्च तथा इन्फोमेरिक्स (देशी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां) एवं फिच, मूडीज व एसएंडपी (अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां) का अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों के रूप में चयन किया है, जिनकी रेटिंगों का जोखिम भारित आस्तियों तथा पूंजी ऋण भार के परिकलन के लिए प्रयोग किया जाता है।

- **ऋण जोखिम के प्रकार, जिसके लिए प्रत्येक एजेंसी उपयोग में लाई गई**

(i) एक वर्ष या उससे कम अथवा बराबर की संविदात्मक परिपक्वता वाले ऋण जोखिम हेतु (कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों को छोड़कर), अनुमोदित रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई शॉर्ट टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

(ii) कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एवं अन्य परिक्रामी ऋणों (अवधि पर विचार किए बिना) के लिए और 1 वर्ष से अधिक के मीयादी ऋण निवेश हेतु लांग टर्म रेटिंग उपयोग में लाई गई।

- **पब्लिक इश्यू रेटिंगों को बैंकिंग बही में तुलना योग्य आस्तियों के अंतरण हेतु उपयोग में लाई गई प्रक्रिया का विवरण**

बैंक की बाह्य रेटिंग प्रयोज्यता रूपरेखा की प्रमुख अवधारणाएँ निम्नानुसार हैंः

- विशेष रूप से बैंक की क्रमशः दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन जोखिमों के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित की गई सभी दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन रेटिंगों पर बैंक द्वारा एक मुद्दा विशिष्ट रेटिंग्स के रूप में विचार किया जा सकता है।
- विदेशी राष्ट्रिक एवं विदेशी बैंक जोखिम जोखिम भारित होती हैं, जो जारीकर्ता के लिए निर्धारित की गई उनकी रेटिंग्स पर आधारित होती है।
- बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सुविधा/ऋणी की बाह्य रेटिंग की पिछले 15 महीनों के दौरान कम से कम एक बार ईसीएआई द्वारा समीक्षा की गई है और इसकी प्रयोज्यता की तिथि को यह लागू है।
- जहां विभिन्न रेटिंग एजेंसियों द्वारा किसी संस्था को बहुविध जारीकर्ता रेटिंग्स दी जाती है, वहाँ दो रेटिंग्स होने पर संबसे कम रेटिंग और जहां तीन या उससे ज्यादा रेटिंग होने पर दूसरी कम रेटिंग का उपयोग दी गई सुविधा के लिए किया जाता है।

निम्नलिखित मामलों में उसी ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष के अन्य अनरेटिड एक्सपोजरों के लिए लॉंग टर्म इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग (बैंक के स्वयं के ऋण जोखिमों या उसी ऋणी ग्राहक/प्रतिपक्ष द्वारा जारी किए गए अन्य ऋण) अथवा जारीकर्ता (ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष) रेटिंग उपयोग में लाई गई।

- इश्यू स्पेसिफिक रेटिंग या जोखिम भार की तुलना में जारीकर्ता रेटिंग मैप यदि अनरेटिड एक्सपोजरों के समतुल्य या अधिक है, तो उसी प्रतिपक्ष के किसी अन्य अनरेटिड ऋण जोखिम के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेटिंग और यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से रेटिड ऋण जोखिम की मात्र के अनुरूप या उससे कम हो, तो वही जोखिम भार लागू किया गया।
- उन मामलों में जहां ऋणी-ग्राहक/प्रतिपक्ष ने कोई ऋण जारी किया है (जो बैंक से उधारी नहीं है), यदि ऋण जोखिम हर प्रकार से कतिपय रेटिंग वाले ऋण जोखिम की मात्रा के अनुरूप या उससे अधिक थी और बैंक के अनरेटिड एक्सपोजर की परिपक्वता रेटिड ऋण की परिपक्वता के बाद की नहीं थी, तो उस ऋण को दी गई रेटिंग बैंक के आनरेटिड एक्सपोजर के लिए उपयोग में लाई गई।

31.03.2019 को मात्रात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

ख)	जोखिम को कम करने के पश्चात मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऋण निवेश हेतु प्रत्येक जोखिम वर्ग के अंतर्गत बैंक की बकाया (श्रेणीबद्ध एवं गैर-श्रेणीबद्ध) राशियों के अलावा अन्य घटाई गई राशियाँ		राशि
		100% से कम जोखिम भार	1869877.19
		100% जोखिम भार	449622.71
		100% से अधिक जोखिम भार	424596.50
		घटाई गई	**0.00**
		योग	**2744096.40**

डीएफ-5: ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

ऋण जोखिम न्यूनीकरण: मानकीकृत पद्धति के अनुसार प्रकटीकरण

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण

- तुलन पत्र में शामिल और शामिल न की गई निवलीकरण नीतियाँ और प्रक्रियाएँ तथा बैंक इनका किस सीमा तक उपयोग करता है। तुलन पत्र की निवलीकरण जोखिम मदें ऐसे ऋणों/अग्रिमों और जमाराशियों तक सीमित रहती है जिनके लिए बैंक के पास प्रवर्तनीय कानूनी अधिकार, दस्तावेजी प्रमाण सहित विशिष्ट ग्रहणाधिकार है। बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन निवल ऋण जोखिम के आधार पर पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है :

जहाँ बैंक,

क. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों का निवल वसूली करार के अनुसार निर्धारण कर सकता है; तथा

ख. किसी भी समय उसी प्रतिपक्ष के ऋण/अग्रिम तथा जमाराशियों का निवल वसूली करार के अनुसार निर्धारण कर सकता है;

ग. निवलीकरण के आधार पर संबन्धित जोखिमों की निगरानी तथा नियंत्रण करता है, वह अपनी पूंजी पर्याप्तता के आकलन के लिए आधार के रूप में ऋणों/अग्रिमों तथा जमाराशियों का निवल जोखिम के रूप में प्रयोग कर सकता है। ऋण/अग्रिम को जोखिम तथा जमाराशियों को संपार्श्विक माना गया है।

- **संपार्श्विक मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए नीतियाँ और प्रक्रियाएँ**

  बैंक में ऋण जोखिम प्रबंधन, ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन के लिए एक एकीकृत नीति विद्यमान है, जिसकी प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण और संपार्श्विक प्रबंधन, पूंजी-परिकलन के लिए प्रयुक्त ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के प्रति बैंक का दृष्टिकोण इस नीति के भाग ख में स्पष्ट किया गया है।

  इस नीति का उद्देश्य ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का इस ढंग से वर्गीकरण करना है कि उनके प्रकटीकरण के लिए नियामक पूंजी समायोजन किया जा सके।

  इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिससे ऋण जोखिम के लिए समुचित रूप से प्रति संतुलन करने के पश्चात संपर्श्विक प्रतिभूति के मूल्य के समान ऋण जोखिम राशि कारगर ढंग से घटाकर संपार्श्विक प्रतिभूति का पूर्ण रूप से समायोजन किया जा सकता है। इस नीति में निम्नलिखित विषयों पर ध्यान दिया गया है :

(i) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों का वर्गीकरण

(ii) स्वीकार्य जोखिम न्यूनीकरण तकनीक

(iii) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के लिए प्रलेखीकरण और विधिक प्रक्रिया

(iv) संपार्श्विक प्रतिभूति का मूल्यांकन

(v) मार्जिन और संतुलन अपेक्षाएँ

(vi) विदेशी रेटिंग

(vii) संपार्श्विक प्रतिभूति की अभिरक्षा

(viii) बीमा

(ix) ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों की निगरानी

(x) सामान्य दिशानिर्देश

- **बैंक द्वारा मुख्यतया जिस प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ ली गई हैं, उनका ब्योरा**

देश की देशीय बैंकिंग इकाइयों में मानकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत सामान्यतया निम्नलिखित संपार्श्विक प्रतिभूतियों को ऋण जोखिम न्यूनीकरण मदों के रूप में मान्यता प्राप्त है;

नकदी अथवा नकदी समतुल्य (बैंक जमाराशियाँ/एनएससी/किसान विकास पत्र/एलआईसी पॉलिसी आदि)

स्वर्ण

केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ

ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ जिन्हें अल्पावधि ऋण लिखतों के लिए बीबीबी या बेहतर/पीआर 3/पी3/एफ3/ए3 रेटिंग प्राप्त

- **प्रतिपक्षीय गारंटीकर्ता के मुख्य प्रकार और उनकी ऋण-पात्रता**

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप निम्नलिखित संस्थाओं को पात्र गारंटीकर्ताओं के रूप में स्वीकार करता है :

- सरकार, सरकारी संस्थाएं (बैंक फॉर इन्टरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोश (आईएमएफ), यूरोपीय केंद्रीय बैंक और यूरोपीय समुदाय तथा बहुपक्षीय विकास बैंक, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी करोपोरेशन (ईसीजीसी) और क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्माल एंटरप्राइजेस (सीजीटीएमएसई), सरकारी उपक्रम, बैंक और प्राथमिक व्यापारी जिनका जोखिम भार प्रतिपक्ष की तुलना में कम हो।
- अन्य गारंटीकर्ता जिनकी बाह्य रेटिंग एए या बेहतर हो। यदि गारंटीकर्ता कोई मूल, संबंद्ध कंपनी या अनुषंगी हो, तो उनका जोखिम भार गारंटी के लिए बैंक द्वारा मान्यताप्राप्त बाध्यताधारी से कम होना चाहिए। गारंटीकर्ता की रेटिंग उस संस्था की रेटिंग के समान होनी चाहिए जिसकी उस संस्था की सभी देयताओं और बाध्यताओं में (गतांतियों में भी) हिस्सेदारी है।

जोखिम न्यूनीकरण मदों के भीतर अधिक जोखिम वाले (बाजार या ऋण) के बारे में जानकारी :

बैंक में आस्ति-संविभाग भलीभाँति विविधीकृत है, जिसके लिए विभिन्न प्रकार की संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ प्राप्त की गई हैं:

- ऊपर सूचीबद्ध पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ
- सरकार और अच्छी रेटिंग वाली कंपनियों द्वारा दी गई गारंटियाँ
- प्रतिपक्ष की अचल आस्तियां और चालू आस्तियां

मात्रात्मक प्रकटीकरण 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

(₹ करोड़ में)

(ख)	पृथक से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (जहां लागू हो, तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के बाद) जो कटौतियाँ लागू करने के पश्चात पात्र वित्तीय संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा सुरक्षित किया जाता है।	127848.29
(ग)	पृथक से प्रकट प्रत्येक ऋण जोखिम पोर्टफोलियो का कुल ऋण जोखिम (जहां लागू हो, तुलन-पत्र में शामिल या न शामिल ऋण जोखिमों को घटाने के बाद) जो गारंटियों/क्रेडिट डेरिवेटिव्स द्वारा सुरक्षित किया गया है। जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशेष रूप से अनुमति प्रदान की गई है)।	55317.05

डीएफ-6: प्रतिभूतीकरण जोखिम : मानकीकृत पद्धति संबंधी प्रकटीकरण

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण		
(क)	**प्रतिभूतिकरण के गुणात्मक प्रकटीकरण की सामान्य अपेक्षा का विवेचन भी शामिल है:**	
	प्रतिभूतिकरण गतिविधियों के संबंध में बैंक का क्या लक्ष्य रहा है? यह भी बताएं कि इन गतिविधियों के अंतर्गत प्रतिभूति ऋणों में विद्यमान ऋण-जोखिम को कितनी मात्रा में बैंक के बाहर, अर्थात अन्य संस्थाओं को अंतरित किया गया है।	निरंक
	प्रतिभूति आस्तियों में पहले से विद्यमान अन्य जोखिमों (जैसे नकदी जोखिम) का स्वरूप;	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया में बैंक द्वारा अदा की गई विभिन्न प्रकार की भूमिकाएँ (उदाहरण के लिए प्रवर्तक, निवेशक, सेवा-प्रदाता, ऋण वृद्धि प्रदाता, चलनिधि प्रदाता, विनिमय प्रदाता@, संरक्षण प्रदाता#) और उनमें से प्रत्येक में बैंक की संबद्धता की सीमा;	लागू नहीं
	@ संबन्धित आस्तियों के ब्याज दर/करेंसी संबंधी जोखिम को कम करने के लिए किसी बैंक ब्याज दर विनिमय अथवा करेंसी विनिमय के रूप में धारित सीमा में प्रतिभूतिकरण सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है, यदि नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत हो।	
	# कोई बैंक गारंटियों, ऋण डेरिवेटिव्स या ऐसे ही किसी अन्य उत्पाद यदि नियामक के नियमों के अंतर्गत अनुमत हो, के रूप में किसी प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए ऋण सुरक्षा प्रदान कर सकता है।	
	प्रतिभूतिकरण निवेशों के ऋण एवं बाजार जोखिमों में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन विद्यमान है (उदाहरण के लिए संबन्धित आस्तियों के मूल्य में उतार-चढ़ाव का प्रतिभूति निवेशों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, जैसाकि एनसीएएफ पर 1 जुलाई 2012 के मास्टर परिपत्र के पैरा 5.16.1 में बताया गया है)	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण निवेशों में बरकरार जोखिमों को कम करने के लिए ऋण जोखिम न्यूनीकरण पद्धतियों के उपयोग से संबन्धित बैंक की नीति का वर्णन नीचे किया गया है;	लागू नहीं
(ख)	**प्रतिभूतिकरण गतिविधियों पर बैंक की लेखांकन नीतियों का सारांश, जिसमें निम्नलिखित शामिल है :**	
	क्या लेनदेन को बिक्री या वित्तपोषण माना गया है ;	लागू नहीं
	प्रतिभूतिकरण की स्थिति को यथावत बनाए रखने या नई खरीद का मूल्यांकन करने में लागू की गई पद्धतियाँ और प्रमुख पूर्वानुमान	लागू नहीं
	पिछली अवधि से पद्धतियों और प्रमुख धारणाओं में हुए परिवर्तनों और परिवार्ताओं का प्रभाव;	लागू नहीं

	तुलनपत्र में दर्शाई गई देयताओं को उन व्यवस्थाओं में शामिल करने के लिए अपनाई गई नीतियाँ जिनके अंतर्गत प्रतिभूतिकृत आस्तियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करना बैंक के लिए आवश्यक हो सकता है।	लागू नहीं
(ग)	बैंक के लेखों में प्रतिभूतिकरण के लिए किन ईसीएआई का उपयोग किया गया है और प्रत्येक एजेंसी का किस प्रकार के प्रतिभूतिकरण जोखिम के लिए उपयोग किया गया।	लागू नहीं
	मात्रात्मक प्रकटीकरण : बैंकिंग बही	
(घ)	बैंक द्वारा प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि	निरंक
(ङ)	ऋण जोखिमों से बचाव के लिए किए गए प्रतिभूतिकरण से चालू अवधि के दौरान हुई किन हानियों को बैंक द्वारा लेखों में शामिल किया गया है। प्रत्येक ऋण जोखिम का अलग-अलग (जैसे क्रेडिट कार्ड, आवास ऋण, वाहन ऋण आदि का संबन्धित प्रतिभूति सहित विस्तृत ब्योरा) विवरण दें।	निरंक
(च)	एक वर्ष के भीतर प्रतिभूतिकृत की जानी वाली आस्तियों की राशि	निरंक
(छ)	(च) में से प्रतिभूतिकरण के पूर्व एक वर्ष के अंदर प्रवर्तित आस्तियों की राशि।	लागू नहीं
(ज)	प्रतिभूतिकृत ऋण जोखिमों की कुल राशि (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार) और उस ऋण की बिक्री से हुए ऐसे लाभ या हानियाँ जिन्हें लेखों शामिल नहीं किया गया है।	निरंक
(झ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	तुलन पत्र में शामिल प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें, जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
	तुलन पत्र में न शामिल प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें, जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
(ञ)	यथावत बनाए रखे गए या खरीदे गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों और उनसे संबन्धित पूंजी खर्चों की कुल राशि। राशि ऋण जोखिमवार अलग-अलग दिखाई जाए और नियामक द्वारा अलग-अलग ऋण जोखिमों के लिए निर्धारित पूंजी पर्याप्तता के अनुरूप उनके अलग-अलग जोखिम भार का भी उल्लेख करें।	निरंक
	ऐसे ऋण जोखिम जिन्हें टियर 1 पूंजी में से पूर्णतया घटा दिया गया है, कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार)।	निरंक
	मात्रात्मक प्रकटीकरण : ट्रेडिंग बुक	
(ट)	बैंक द्वारा प्रतिभूत उन जोखिमों की कुल राशि, जिनके लिए बैंक ने कुछ ऋण जोखिम यथावत बनाए रखा है और जिसका बाजार जोखिम पद्धति के अनुसार आकलन किया जाना है। ऋण जोखिम के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें।	निरंक
(ठ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	निरंक
	तुलन पत्र में शामिल प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें, जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है। तथा	निरंक
	तुलन पत्र में न शामिल प्रतिभूतिकरण ऋणों का ऋण के स्वरूप सहित अलग-अलग विवरण दें, जिन्हें यथावत बनाए रखा गया है या जिसके संबंध में खरीद की गई है।	निरंक
(ड)	उन प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिमों की कुल राशि जो निम्नलिखित के लिए यथावत बनाई रखी गई या खरीदी गई;	निरंक
	कतिपय जोखिम को देखते हुए व्यापक जोखिम उपयोग के अंतर्गत यथावत बनाई रखी गई या खरीदी गई	निरंक
	प्रतिभूतिकरण जोखिम, जिनके लिए विशिष्ट जोखिम को अलग अलग जोखिम भारित श्रेणियों में विभाजित किया गया हो;	निरंक
(ढ)	निम्नलिखित की कुल राशि :	
	प्रतिभूतिकरण ढांचे के अंतर्गत प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम की पूंजीगत आवश्यकताएँ-अलग अलग जोखिम भार के अनुसार विश्लेषण	निरंक
	टियर-I पूंजी में से पूर्णतया घटाए गए प्रतिभूतिकरण ऋण जोखिम, कुल पूंजी में से घटाए गए ऋण संवर्धन और कुल पूंजी में से घटाए गए अन्य ऋण जोखिम (ऋण जोखिम के प्रकार के अनुसार)	निरंक

डीएफ-7 शेयर/बांड क्रय-विक्रय में बाजार जोखिम

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

(क) गुणात्मक प्रकटीकरण :

(1) बैंक बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता की गणना करने हेतु मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) का अनुपालन करता है।

(2) बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुसार जोखिम प्रबंधन विभाग के एक भाग के रूप में बाजार जोखिम प्रबंधन विभाग (एमआरएमडी) खोले गए हैं।

(3) बाजार जोखिम विभाग राजकोष परिचालनों से संबद्ध बाजार जोखिम की पहचान, उनके मूल्यांकन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी है।

(4) प्रत्येक आस्ति वर्ग के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुस्पष्ट बाजार जोखिम प्रबंधन मानदंडों वाली निम्नलिखित नीतियों को लागू किया गया है:

क) बाजार जोखिम प्रबंधन नीति

ख) बाजार जोखिम सीमाओं की समीक्षा

ग) निवेश नीति

घ) ट्रेडिंग नीति

ङ) दवाब परीक्षण नीति

(5) जोखिम निगरानी एक सतत प्रक्रिया है और इसमें जोखिम प्रोफाइलों का विश्लेषण किया जाता है तथा उनकी प्रभावकारिता के बारे में बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और शीर्ष प्रबंधन को नियमित अंतराल पर सूचित किया जाता है।

(6) जोखिम प्रबंधन और उसकी रिपोर्टिंग सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुसार आशोधित अवधि, आधार बिंदु का कीमत मूल्य, अधिकतम अनुमत जोखिम, निवल आरंभिक राशि सीमा, पूरक सीमा, जोखिम मूल्य जैसे मानदंडों पर की जाती है।

(7) बोर्ड द्वारा अनुमोदित फॉरेक्स ओपन पोजीशन सीमा (दिन/रात), हानि नियंत्रण सीमा, सकल अंतराल सीमा, वैयक्तिक अंतराल सीमा की निगरानी की जाती है और कोई अपवाद हो तो ये बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को रिपोर्ट किए जाते हैं।

(8) मूल्य जोखिम की गणना प्रतिदिन की जाती है। मूल्य जोखिम का पश्च-परीक्षण प्रतिदिन किया जाता है। मूल्य जोखिम के अनुपूरक के रूप में दबाव परीक्षण तिमाही अंतराल पर किया जाता है। इनके परिणाम बैंक के शीर्ष प्रबंधन, बाजार जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की बाजार जोखिम प्रबंधन समिति को सूचित किए जाते हैं।

(9) विदेश स्थित कार्यालय अपने देश के स्थानीय विनियामक की अपेक्षाओं और भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारणों के अनुसार अपने निवेश संविभाग की जोखिम निगरानी करते हैं। कतिपय संविभागों के किसी एक विनिधान के लिए हानि नियंत्रण सीमा और जोखिम सीमाएं निर्धारित की गई हैं।

(10) बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार की गणना के लिए बैंक ने आंतरिक मॉडल पद्धति के नाम से उन्नत पद्धति अपनाने का निर्णय किया है और इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को आशय पत्र प्रस्तुत किया है।

(ख) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

बाजार जोखिम पर पूंजी अपेक्षा

बैंक बाजार जोखिम पर मानकीकृत माप विधियों के अनुसार पूंजी प्रभार बनाए रखता है:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2019
ब्याज दर जोखिम (डेरिवेटिव्स सहित)	11,328.79
ईक्विटी स्थिति जोखिम	4,881.52
विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम	188.60
कुल	**16,398.91**

डीएफ-8 परिचालन जोखिम

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. परिचालन जोखिम प्रबंधन कार्य की संरचना एवं संगठन

- परिचालन जोखिम प्रबंधन विभाग भारतीय स्टेट बैंक में कार्यरत है जो परिचालन जोखिम अभिशासन के समन्वित तंत्र का ही हिस्सा है और यह अपने-अपने मुख्य जोखिम अधिकारी के नियंत्रणाधीन कार्य करता है। एसबीआई में मुख्य जोखिम अधिकारी एमडी (तनावग्रस्त आस्तियां जोखिम एवं अनुषंगियां) को रिपोर्ट करता है।
- अन्य समूह इकाइयों में परिचालन जोखिम संबंधी मुद्दों का निपटान व्यवसाय मॉडल और संबंधित इकाइयों के मुख्य जोखिम अधिकारियों के साथ समग्र नियंत्रण वाले उनके नियंत्रकों की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है।

ख. भारतीय स्टेट बैंक में परिचालन जोखिम को नियंत्रित और कम करने संबंधी नीतियां

देशीय बैंकिंग इकाइयां (एसबीआई)

एसबीआई में निम्नलिखित नीतियां, रूपरेखा दस्तावेज और मैनुअल लागू/ उपलब्ध हैं:

नीतियां एवं ढ़ांचागत दस्तावेज

- परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति बैंक में लागू है, जिसका उद्देश्य परिचालन जोखिमों की व्यवस्थित एवं समय रहते पहचान, आकलन, मापन, निगरानी न्यूनीकरण एवं रिपोर्ट करने हेतु एक स्पष्ट एवं ठोस परिचालन जोखिम प्रबंधन तंत्र की स्थापना करना है,
- आंकड़ा नुकसान प्रबंधन
- बाहरी नुकसान आंकड़ा प्रबंधन नीति
- आईएस नीति
- आईटी नीति
- साइबर सुरक्षा नीति
- समूह साइबर सुरक्षा नीति
- व्यवसाय निरंतरता योजना संबंधी (बीसीपी) नीति
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) नीति
- अपने ग्राहक को जानिए (केवायसी) मानदंडों संबंधी नीति और धन शोधन निवारक (एएमएल)/ आतंकवाद वित्तीयन निवारक उपाय नीति
- धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति
- बैंक की आउटसोर्सिंग नीति
- बीमा नीति
- परिचालन जोखिम निर्वहन क्षमता (एसबीआई) दस्तावेज
- पूंजी परिकलन ढांचागत दस्तावेज

मैनुअल

- परिचालन जोखिम प्रबंधन मैनुअल
- आंकड़ा नुकसान प्रबंधन मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता आयोजना (बीसीपी) मैनुअल
- व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (बीसीएमएस) मैनुअल
- बाह्य नुकसान आंकड़ा मैनुअल

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

गैर-बैंकिंग व्यावसायिक इकाइयों के लिए उनके व्यावसायिक मॉडल से संबंधित और विदेशी बैंकिंग इकाइयों के संबंध में विदेशी विनियामकों की आवश्यकताओं के अनुसार नीतियां और मैनुअल विद्यमान हैं। कुछ अन्य विद्यमान नीतियां हैं- आपदा रिकवरी योजना/ व्यवसाय निरंतरता योजना, दुर्घटना रिपोर्टिंग तंत्र, निअर मिस इवेंट रिपोर्टिंग तंत्र, आउटसोर्सिंग नीति आदि।

ग. कार्यनीतियां और प्रक्रियाएं

देशीय बैंकिंग इकाइयां (एसबीआई)

उच्चस्तरीय आकलन पद्धति (साथ-साथ उपयोग)

- जोखिम संस्कृति एवं परिचालन जोखिम प्रबंधन को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक में मंडलों में परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति तथा व्यवसाय एवं सहयोग समूह (आरएमसी-एनबीजी, आरएमसी-आइबीजी, आरएमसी-जीएमयू, आरएमसी - सीबीजी, आरएमसी - एमसीजी, आरएमसी-एसएएमजी एवं आरएमसी-आईटी) विद्यमान हैं।
- परिचालन जोखिमों से आंतरिक एवं बाह्य नुकसान के लिए एक व्यापक डेटा आधार बेसल निर्धारित 8 व्यवसाय लाइन और 7 प्रकार के नुकसान के लिए तैयार करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। यह एएमए प्रक्रिया का भाग है। शाखाओं, संसाधन केंद्रों और कार्यालयों से नुकसान डेटा, जिसमें नुकसान होते होते बची घटनाओं का डेटा भी शामिल है, मंगाने के लिए एक्सल आधारित एक टेंपलेट तैयार किया गया है, ताकि जोखिम प्रबंधन बेहतर हो सके।
- जोखिम और नियंत्रण स्व-निर्धारण कार्य को कार्यशालाओं के माध्यम से करने के लिए एक्सेल आधारित टेंपलेट प्रारंभ किया गया है, जिसमें निहित जोखिम तथा अवशिष्ट जोखिम जानने, वर्तमान नियंत्रण परिवेश की प्रभाविता जानने और मूल्यांकन करने और जोखिम स्तरों के वर्णन के लिए हीट मैप्स का प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष के दौरान आरसीएसए कवायद में मुख्य शाखाओं/ संसाधन केंद्रों ने हिस्सा लिया। आरसीएसए कवायद से सामने आए शीर्ष जोखिमों को कम करने की योजना पर निरंतर ध्यान दिया जा रहा है।
- समस्त व्यवसाय और सहायता समूहों के लिए प्रमुख जोखिम संकेतक प्रारंभिक और निगरानी तंत्र के साथ चयनित किए गए हैं। जोखिम प्रबंधन समिति, परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति और बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति इन संकेतकों को लागू करने में हुई प्रगति की तिमाही अंतराल पर समीक्षा करती है। चालू वित्त वर्ष के दौरान 10 प्रमुख संकेतकों का निर्धारण किया गया है।
- बैंक समय-समय पर एएमए प्रयोग परीक्षण भी करते हैं।
- बेसल II में निर्धारित उच्च स्तरीय आकलन पद्धति (एएमए) के अंतर्गत परिचालन जोखिम की गणना और निगरानी के लिए आवश्यक विकसित आंतरिक प्रणालियां विद्यमान हैं।
- एएमए के साथ-साथ उपयोग के लिए बैंक को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। तथापि बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल III हाल ही में संरचना में किए गए संशोधन के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक ने एएमए पूंजी समेकन की प्रस्तुति को समाप्त करने की सूचना दी है।

अन्य

देशीय बैंकिंग संस्थाओं में परिचालन जोखिम प्रबंधन नियंत्रित और कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

- बैंक द्वारा अनुदेशावलियां (सामान्य अनुदेश मैनुअल, ऋण एवं अग्रिम मैनुअल) जारी की गई हैं, जिसमें बैंक के विभिन्न प्रकार के लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन दिशा-निर्देशों में किए गए संशोधन और आशोधन सभी कार्यालयों को परिपत्र भेजकर कार्यान्वित किए जाते हैं। दिशा-निर्देशों और अनुदेश जॉब-कार्डों, ई-परिपत्रों, ई-लर्निंग पाठों, मोबाइल नगेट्स और प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से भी प्रसारित किए जाते हैं।
- व्यवसाय प्रक्रिया पुनर्विन्यास (बीपीआर) इकाइयों से संबंधित अपडेट किए गए मैनुअल और परिचालन अनुदेश।
- वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन, जिसमें विभिन्न प्रकार के वित्तीय एवं गैर वित्तीय लेनदेनों के लिए विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के संस्वीकृति अधिकारों का ब्योरा दिया गया है।
- स्टाफ प्रशिक्षण-बैंक के शीर्ष प्रशिक्षण संस्थानों और ज्ञानार्जन केंद्रों में विभिन्न श्रेणियों के स्टाफ के लिए संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में जोखिम प्रबंधन माड्यूलों के हिस्से के रूप में परिचालन जोखिम की जानकारी शामिल की गई है।
- धोखाधड़ियों से इतर संभावित परिचालन जोखिम वोले मामलों के लिए बैंक द्वारा बीमा कराया गया है।
- आंतरिक लेखापरीक्षक नियंत्रण प्रणालियों की उपयुक्तता की जांच एवं मूल्यांकन तथा प्रभावकारिता और कतिपय नियंत्रण कार्यविधियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी हैं। वे स्थापित प्रणालियों की समीक्षा भी करते हैं, जिससे विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं, आचार संहिता और नीतियों एवं कार्यविधियों के कार्यान्वयन का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।
- किसी भी आपदा के बाद व्यवसाय निरंतरता तथा महत्वपूर्ण कार्य प्रक्रियाओं को दुबारा प्रारंभ करने के लिए एक सुदृढ़ व्यवसाय निरंतरता प्रबंधन नीति और मैनुअल बैंक में विद्यमान है।
- छुट्टी नीति का कड़ाई से कार्यान्वयन।
- सभी कार्यालयों में जोखिम जागरूकता कार्यशाला (आरएडबल्यू) का आयोजन।

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयां

देशीय गैर-बैंकिंग और विदेशी बैंकिंग इकाइयों में प्रणालियों एवं कार्यविधियों और रिपोर्टिंग के रूप में पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

घ. जोखिम रिपोर्टिंग एवं मापन प्रणालियों का कार्यक्षेत्र एवं स्वरूप

- धोखाधड़ियों पर रिपोर्टों के शीघ्र प्रेषण की एक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में विद्यमान है।
- निवारक सतर्कता और पर्दाफासी की एक व्यापक प्रणाली समूह की सभी संस्थाओं में स्थापित की गई हैं।
- आरसीएसए/ आरएडबल्यू से सामने आई महत्वपूर्ण जोखिमों, परिदृष्य विश्लेषण और लॉस डेटा/ नियर मिस इवेंट्स के विश्लेषण के बारे में शीर्ष प्रबंधन को नियमित रूप से सूचित किया जाता है और निरंतर आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।
- 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए परिचालन जोखिम हेतु पिछले 3 वर्षों का औसत सकल आय के 15% के पूंजी प्रभार के साथ मूल संकेतक पद्धति (एएमए) अपनाई गई है। बीमा कंपनियां इसका अपवाद है। एएमए के तहत बैंक की पूंजी की गणना एएमए के साथ-साथ उपयोग के अंतर्गत 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए भी की गई है।

डीएफ-9: बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आईआरआरबीबी)

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम:

आंतरिक एवं बाह्य कारणों से बैंक की ब्याज दर में होने वाले उतार-चढ़ाव से निवल ब्याज आय तथा आस्तियों एवं देयताओं के मूल्य पर पड़ने वाले प्रभाव को ब्याज दर जोखिम कहा जाता है। आंतरिक कारणों में बैंक की आस्तियों एवं देयताओं की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमाराशियों, उधार, ऋणों एवं निवेशों की पुनर्मूल्यन अवधि शामिल है। बाह्य कारणों के अंतर्गत सामान्य आर्थिक स्थितियाँ आती हैं। बढ़ती अथवा घटती ब्याज दरों का बैंक पर प्रभाव इस तथ्य पर निर्भर करता है कि तुलनपत्र आस्ति संवेदी है या देयता संवेदी।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) तुलन पत्र जोखिमों की अनवरत पहचान एवं विश्लेषण तथा बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन नीति के जरिए इन जोखिमों के प्रभावी प्रबंधन के लिए मापदंड निर्धारित करने हेतु उपयुक्त प्रणालियाँ एवं कार्यविधियाँ तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अतः आस्ति देयता प्रबंधन जोखिमों एवं प्रतिलाभों, निधीयन एवं विनियोजन, बैंक के ऋण एवं जमाराशि दरों के निर्धारण तथा बैंक की निवेश संबंधी गतिविधियों के संबंध में निदेश देने आदि की निगरानी एवं नियंत्रण करती है। निदेशक बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रणाली के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करती है और आवधिक तौर पर उसकी कार्यपद्धति की समीक्षा करती है तथा दिशानिर्देश देती है। यह ब्याज जोखिम के प्रबंधन हेतु आस्ति देयता प्रबंधन द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों की समीक्षा करती है।

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्धारित किया है कि ब्याज दर संवेदनशीलता (पुनर्मूल्य निर्धारण अंतर) विवरण जिसे मासिक अंतराल पर तैयार किया जाता है, के जरिए ब्याज दर जोखिम की निगरानी की जाए। तदनुसार आस्ति देयता प्रबंधन समिति मासिक आधार पर ब्याज दर संवेदनशीलता विवरण की समीक्षा करती है। आस्तियों और देयताओं दोनों में एक समान परिवर्तन के कारण बैंक की शुद्ध ब्याज आय में होने वाले परिवर्तन का आकलन करती है।

1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक की आस्तियों और देयताओं के आर्थिक मूल्य पर अवधि अंतर विश्लेषण के अंतर्गत ब्याज दर संवेदनशीलता के जरिए ब्याज दर परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने का भी निर्धारण किया है। बैंक मासिक अंतराल पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित अवधि अंतर विश्लेषण भी करता है। बाजार ब्याज दर में हुए परिवर्तनों को देखते हुए आस्ति एवं देयताओं के मूल्य में हुए परिवर्तनों को अभिनिर्धारित करते हुए अवधि अंतर विश्लेषण के माध्यम से ईक्विटी के बाजार मूल्य पर ब्याज दर परिवर्तनों के प्रभाव की निगरानी की जाती है। ईक्विटी के मूल्य में (आरक्षितियों सहित) और आस्ति एवं देयताओं की ब्याज दर में 2% समान अंतर के बीच परिवर्तन का अनुमान है।

1.3 विभिन्न ब्याज जोखिमों की निगरानी के लिए निम्नलिखित विवेकपूर्ण सीमाओं का निर्धारण किया गया है :

ब्याज दर अस्थिरता के कारण परिवर्तन	अधिकतम प्रभाव (पूंजी एवं आरक्षितियों के प्रतिशत के रूप में)
निवल ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों की ब्याज दरों में 1% परिवर्तन के साथ)	5%
ईक्विटी ब्याज आय में परिवर्तन (आस्तियों एवं देयताओं दोनों के लिए ब्याज दरों में 2% परिवर्तन के साथ) - केवल बैंकिंग बही	20%

1.4 बाजार दर जोखिम के कारण समग्र प्रतिकूल प्रभाव को पूंजी एवं आरक्षितियों की 20% की सीमा तक सीमित करना विवेकपूर्ण सीमा का उद्देश्य है, जबकि शेष पूंजी एवं आरक्षितियाँ ऋण एवं परिचालन जोखिम से सुरक्षा प्रदान करती है।

2. मात्रात्मक प्रकटीकरण

जोखिम पर अर्जन (ईएआर)

(₹ करोड़ में)

विवरण	निवल ब्याज आय पर प्रभाव
आस्ति एवं देयताओं दोनों की दरों में 100 आधार अंकों के अंतर का निवल ब्याज आय (एनआईआई)पर प्रभाव	6,014.47

इक्विटी का बाजार मूल्य (एमवीआई)

(₹ करोड़ में)

विवरण	इक्विटी के बाजार मूल्य पर प्रभाव
आस्तियों एवं देयताओं दोनों की ब्याज दर में 200 आधार अंकों के अंतर का ईक्विटी बाजार मूल्य (एमवीआई) पर प्रभाव	31,084.48
आस्तियों एवं देयताओं दोनों को ब्याज दर में 100 आधार अंकों के अंतर का ईक्विटी बाजार मूल्य (एमवीआई) पर प्रभाव	15,542.24

डीएफ-10: 31.03.2019 को काउंटरपार्टी ऋण जोखिम एक्सपोजर का सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

बैंक के ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा देशीय बैंकों, विदेशी बैंकों, विकास वित्तीय संस्थानों, प्राथमिक व्यापारियों, लघु वित्त बैंकों तथा भुगतान बैंकों को काउंटर पार्टी जोखिम की सीमा राशि निर्धारित करने के लिए स्कोरिंग मॉडलों का उपयोग किया जाता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन विभाग, बैंक के सभी व्यवसाय इकाइयां यथा सीएजी, सीसीजी, आरएंडडीबी, ग्लोबल मार्केट्स और आईबीजी को जोखिम सीमा का आबंटन करता है, जिसका इन इकाइयों द्वारा अपने नियंत्रणाधीन विभिन्न परिचालन इकाइयों के बीच आपस में आबंटन किया जाता है।

संपार्श्विक प्रतिभूतियों का वर्गीकरण एवं पहचान

बैंक आंतरिक संस्वीकृति तथा/या विनियामक पूंजीगत छूट प्रयोजनों के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति की स्वीकृति, पहचान तथा मूल्य निर्धारण तभी करेगा जब निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति की जाएगी :

- सभी प्रासंगिक अधिकार क्षेत्रों में, संपार्श्विक प्रतिभूति को लागू करने में विधिक सुनिश्चितता तथा प्रभावकारिता है।
- ऋण एवं संपार्श्विक प्रतिभूति संबंधी दस्तावेजों के सभी संविदात्मक एवं सांविधिक अपेक्षाओं की पूर्ति की गई है।
- उक्त संपार्श्विक (प्रथम विधिक ऋण-भार के अलावा दूसरी/गौण या सममात्रा ऋण-भार) के लिए बैंक ने विधिक स्वामित्व प्राप्त कर लिया है।
- जिस विधिक प्रणाली से संपार्श्विक प्रतिभूति को गिरवी रखा जाता है या अंतरित किया जाता है, से काउंटर पार्टी या अन्य पक्ष द्वारा चूक करने, दिवालियापन की स्थिति में उसकी समय पर परिसमापन करने या कब्जे में लेने का अधिकार बैंक को होगा।
- संपार्श्विक प्रतिभूति की समय पर परिसमापन हेतु बैंक के पास स्पष्ट और सुदृढ़ कार्यविधि उपलब्ध है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि काउंटर पार्टी द्वारा चूक की घोषणा करने की विधिक शर्तें तथा संपार्श्विक प्रतिभूति का परिसमापन तत्काल हो सके।

आंतरिक रेटिंग आधारित पूंजी की पात्रता हेतु की गणना के लिए संपार्श्विकों का भारतीय रिज़र्व बैंक के आंतरिक रेटिंग आधारित दिशा-निर्देशों में बताए गए परिचालनगत मानदंडों की पूर्ति करना अनिवार्य है।

किसी लेनदेन के नकदी प्रवाह के पूर्ण समाधान के पूर्व उससे डेरिवेटिव्स लेनदेन की काउंटरपार्टी की चूक से उत्पन्न जोखिम को काउंटरपार्टी ऋण जोखिम कहा जाता है। इस जोखिम को कम करने के लिए डेरिवेटिव लेनदेन केवल उन्हीं काउंटरपार्टियों के साथ किए जाते हैं जिन्हें ऋणसीमाएं अनुमोदित की गई हैं। बैंकों की काउंटरपार्टी सीमा का आकलन अनेक वित्तीय मापदंडों जैसे नेटवर्थ, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, रेटिंग आदि को ध्यान में रखकर आंतरिक मॉडेलों का उपयोग करके किया गया है। कॉरपोरेटों की डेरिवेटिव लिमिट का आकलन और संस्वीकृति नियमित मूल्यांकन के हिस्से के रूप में नियमित क्रेडिट लिमिट के साथ किया गया है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(₹ करोड़ में)

आनुमानिक तथा वर्तमान ऋण जोखिम का संवितरण	आनुमानिक	वर्तमान ऋण राशि
(₹ करोड़ में)	आनुमानिक	वर्तमान ऋण राशि
क) ब्याज दर पर विनिमय	114,421.06	790.47
ख) क्रॉस करेंसी विनिमय	56,468.29	1,415.50
ग) करेंसी ऑप्शन्स	29,380.72	140.17
घ) विदेशी मुद्रा संविदाएं	177,240.57	2,461.06
ङ) करेंसी फ्यूचर्स	-	-
च) फारवर्ड रेट करार	200.89	-
छ) अन्य (कृपया प्रोडेक्ट का नाम स्पष्ट करें)	-	-
योग	**377,711.53**	**4,807.20**
ऋण डेरिवेटिव लेनदेन	**निरंक**	

डीएफ -11: पूंजी के घटक

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार

बेसल-III सामान्य प्रकटन टेम्पलेट का 31 मार्च 2017 से उपयोग किया जा रहा है

(₹ करोड़ में)

	साझा इक्विटी टियर I पूंजी: इन्स्ट्रुमेंट और रिज़र्व		संदर्भ क्र. डी एफ -12 चरण -2 के संदर्भ में)
1	सीधे जारी की गई अहर्ता-प्राप्त पूंजी और संबंधित स्टॉक सरप्लस (शेयर प्रीमियम)	80007.93	ए1 + बी3
2	प्रतिधारित उपार्जन	114355.05	बी1 + बी2 + बी7 + बी8 (#)
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य रिज़र्व)	16685.46	बी5 * 75% + बी6 * 45%
4	सीधे जारी की गई पूंजी जो सीईटी 1 से फेज आउट के अध्यधीन होगी (केवल गैर-संयुक्त स्टॉक कंपनियों पर ही लागू)		
5	अनुषंगियों द्वारा जारी साझा शेयर पूंजी और अन्य पक्षों द्वारा (राशि ग्रुप सी ई टी1 में अनुपात)	1025.92	
6	विनियामक समायोजनों के पूर्व साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी	212074.36	
	साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन		
7	विवेकपूर्ण मूल्य समायोजन		
8	गुडविल (संबंधित कर देयता घटाकर)	1734.07	डी
9	अमूर्त (संबंधित कर देयता घटाकर)	775.73	
10	आस्थगित कर आस्तियां	10863.94	
11	कैश फ्लो हेज रिज़र्व		
12	संभावित हानियों की तुलना में प्रावधानों के लिए रखी गई पूंजी में कमी		
13	बिक्री पर प्रतिभूतिकरण लाभ		
14	उचित मूल्य देयताओं में स्वयं के ऋण जोखिम में परिवर्तनों के कारण लाभ व हानि		

(₹ करोड़ में)

	साझा इक्विटी टियर I पूंजी: इन्स्ट्रुमेंट और रिज़र्व		संदर्भ क्र. (तालिका डी एफ -12 चरण -2 के संदर्भ में)
15	नियत लाभ पेन्शन फंड निवल आस्तियां		
16	स्वयं के शेयरों में निवेश (यदि रिपोर्ट किए गए तुलनपत्र में प्रदत्त पूंजी में से पहले कम न किए गए हों तो)	85.45	
17	साझा इक्विटी में पारस्परिक प्रति-धारिताएं	431.20	
18	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर हैं और जहाँ पात्र अधिविक्रय को घटाने के बाद जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
19	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहरल हैं (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)	27.53	
20	बंधक चुकौती अधिकार (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
21	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियां (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि संबंधित कर देयता को घटाने के बाद)		
22	15% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि		
23	जिसमें : वित्तीय संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़ी राशि का निवेश		
24	जिसमें : बंधक शोधन अधिकार		
25	जिसमें : अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियां		
26	राष्ट्रीय विशेष विनायमक समायोजन (26क+26ख+26ग+26घ)	1703.18	
26क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	1385.68	
26ख	जिसमें : असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	317.50	
26ग	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जो बैंक के साथ समेकित नहीं की गई		
26घ	जिसमें :अपरिशोधित पेन्शन निधि व्यय		
27	कटौतियां करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 1 और टियर 2 के कारण साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
28	साझा टियर 1 इक्विटी में कुल विनियामक समायोजन	15621.10	
29	साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1)	196453.26	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : इंस्ट्रूमेंट्स			
30	सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर 1 इंस्ट्रूमेंट और संबंधित स्टॉक आधिक्य (31+32)	18491.95	
31	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत इक्विटी के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर)		
32	जिसमें : लागू लेखा मानकों के तहत देयताओं के रूप में वर्गीकृत (बेमीयादी ऋण इंस्ट्रुमेंट)	18491.95	
33	अतिरिक्त टियर 1 में से कम होने वाले सीधे जारी किए गए पूंजीगत इंस्ट्रुमेंट	2039.29	
34	अनुषंगियों द्वारा जारी और अन्य पक्ष द्वारा धारित अतिरिक्त टियर 1 इंस्ट्रुमेंट (और सीईटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 में शामिल नहीं किए गए हैं) (राशि ग्रुप एटी1 में अनुमत)	192.36	
35	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी लिखत जो कम होने वाले हैं	20723.60	
36	**विनियामक समायोजनों के पूर्व अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**		
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन			
37	स्वयं के अतिरिक्त टियर 1 इंस्ट्रुमेंट में निवेश		
38	अतिरिक्त टियर 1 इंस्ट्रुमेंट में पारस्परिक प्रति-धारिताएं	639.40	
39	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्र्य की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		

(₹ करोड़ में)

	साझा इक्विटी टियर I पूंजी: इन्स्ट्रुमेंट और रिज़र्व		संदर्भ क्र. (तालिका डी एफ -12 चरण -2 के संदर्भ में)
40	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को छोड़कर)		
41	राष्ट्रीय विशेष विनियामक समायोजन (41क+41ख)	0.00	
41क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश		
41ख	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया है, अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी		
42	कटौतियां करने के लिए अपर्याप्त अतिरिक्त टियर 2 के कारण साझा टियर 1 इक्विटी में लागू किए गए विनियामक समायोजन		
43	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	639.40	
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)**	20084.20	
45	**टियर 1 पूंजी (टी1 = सीईटी1 + एटी1) (29 + 44)**	216537.46	
टियर 2 पूंजी : इंस्ट्रुमेंट्स और प्रावधान			
46	सीधे जारी किए गए अर्हता-प्राप्त अतिरिक्त टियर 2 इंस्ट्रुमेंट और संबंधित स्टॉक आधिक्य	19973.90	
47	सीधे जारी किए गए पूंजीगत इंस्ट्रुमेंट, जो टियर 2 से कम होने वाले हैं	7582.84	
48	टियर 2 इंस्ट्रुमेंट (और सीईटी1 और एटी1 इंस्ट्रुमेंट (और सीईटी 1 और एटी 1 इंस्ट्रुमेंट जो पंक्ति 5 या 34 में शामिल नहीं किए गए) (टियर 2 समूह में अनुमत राशि)	873.89	
49	जिसमें : अनुषंगियों द्वारा जारी इंस्ट्रुमेंट जो कम होने वाले हैं		
50	**प्रावधान**	12739.78	
51	**विनियामक समायोजनो के पूर्व टियर 2 पूंजी**	41170.41	
टियर 2 पूंजी : विनियामक समायोजन			
52	स्वयं के टियर 2 इंस्ट्रुमेंट में निवेश	88.01	
53	टियर 2 इंस्ट्रुमेंट में पारस्परिक प्रति-धारिताएं		
54	विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर की बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की पूंजी में निवेश, पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को घटाने के बाद, जहाँ जारी की गई शेयर पूंजी में बैंक की अपनी पूंजी 10% से अधिक नहीं है, (10% की प्रारंभिक सीमा से अधिक राशि)		
55	उन बैंकिंग, वित्त और बीमा संस्थाओं की साझा पूंजी में बड़े निवेश, जो विनियामक समेकन के कार्य क्षेत्र के बाहर है (पात्र अधिविक्रय की स्थितियों को छोड़कर)		
56	राष्ट्रीय शेष विनियामक समायोजन (56क+56ख)	0.00	
56क	जिसमें : असमेकित बीमा अनुषंगियों की टियर 2 पूंजी में निवेश		
56ख	जिसमें : आधे से अधिक हिस्सेदारी वाली वित्तीय संस्थाओं की, जिनका बैंक के साथ समेकन नहीं किया गया है, अतिरिक्त टियर 2 पूंजी में कमी		
57	**टियर 2 पूंजी में कुल विनियामक समायोजन**	88.01	
58	**टियर 2 पूंजी (टी2)**	41082.40	
59	**कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (45 + 58)**	257619.86	
60	**कुल जोखिम भारित आस्तियां (60क + 60ख + 60ग)**	2008174.47	
60क	जिसमें : कुल ऋण जोखिम भारित आस्तियां	1592205.01	
60ख	जिसमें : कुल बाजार जोखिम भारित आस्तियां	204986.40	
60ग	जिसमें : कुल परिचालन जोखिम भारित आस्तियां	210983.06	
पूंजी अनुपात और बफर्स			
61	साझा इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	9.78	
62	टियर 1 (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	10.78	
63	कुल पूंजी(जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	12.83	

(₹ करोड़ में)

	साझा इक्विटी टियर I पूंजी: इन्स्ट्रुमेंट और रिज़र्व		संदर्भ क्र. (तालिका डी एफ -12 चरण -2 के संदर्भ में)
64	संस्था विशेष सुरक्षित पूंजी आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता और पूंजी संरक्षण तथा प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता, जोखिम भारित आस्तियों के रूप में अभिव्यक्त)	7.825	
65	जिसमें : पूंजी संरक्षण सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	1.875	
66	जिसमें : बैंक विशेष की प्रतिचक्रीय सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0.00	
67	जिसमें : जी-एसआईबी सुरक्षित पूंजी आवश्यकता	0.45	
68	सुरक्षित पूंजी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपलब्ध साझा टियर 1 इक्विटी (जोखिम भारित आस्तियों के प्रतिशत के रूप में)	4.28	
राष्ट्रीय न्यूनतम (यदि बेसल III से भिन्न हो)			
69	राष्ट्रीय साझा इक्विटी टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	5.50	
70	राष्ट्रीय टियर 1 न्यूनतम अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	7.00	
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी आवश्यकता अनुपात (यदि बेसल III के न्यूनतम से अलग हो)	9.00	
कटौती के लिए प्रारंभिक सीमा से कम राशियां (जोखिम भार के पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी से छोटी राशि के निवेश		
73	वित्तीय संस्थाओं के साझा स्टॉक में बड़ी राशि के निवेश	797.46	
74	बंधक शोधन अधिकार (संबंधित कर देयता घटाकर)		
75	अस्थायी अंतर की राशियों में से आस्थगित कर आस्तियां (संबंधित कर देयता घटाकर)	753.16	
टियर 2 में प्रावधान शामिल करने पर लागू उच्चतम सीमाएं			
76	मानकीकृत पद्धति के आधार पर निकाली गई जोखिम राशियों को टियर 2 में शामिल करने के लिए पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने से पहले)	12739.78	
77	मानकीकृत पद्धति के आधार पर टियर 2 में प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	19902.56	
78	आंतरिक श्रेणी निर्धारण पद्धति के अधीन ऋण जोखिमों को टियर 2 में शामिल करने से संबंधित पात्र प्रावधान (उच्चतम सीमा लागू करने के पूर्व)	0.00	
79	आंतरिक श्रेणी निर्धारण पद्धति के अधीन टियर 2 के प्रावधान शामिल करने की उच्चतम सीमा	0.00	
पूंजी इन्स्ट्रुमेंट जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन हैं (केवल 31 मार्च 2017 और 31 मार्च 2022 के बीच लागू)			
80	सीईटी 1 इंस्ट्रुमेंट्स की उच्चतम सीमा जो फेज आउट के अधीन है	0.00	
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 इंस्ट्रुमेंट्स में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)	0.00	
82	एटी 1 इंस्ट्रुमेंट्स की वर्तमान उच्चतम सीमा जो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है	30%	
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		
84	टी 2 इस्ट्रुमेंट्स की उच्चतम सीमा तो फेज आउट व्यवस्थाओं के अधीन है	30%	
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 में शामिल न की गई राशि (मोचन और परिपक्वताओं के बाद उच्चतम सीमा से अधिक अतिरिक्त राशि)		

टेम्प्लेट के नोट

(₹ करोड़ में)

टेम्प्लेट का पंक्ति क्रमांक	विवरण	
10	संबद्ध आस्थगित कर आस्तियां संचित हानियों के साथ	10863.94
	आस्थगित कर आस्तियां (संचित हानियों से संबद्ध को छोड़कर) आस्थगित कर देयता घटाकर	753.16
	योग जैसे पंक्ति 10 में दर्शाया गया है	10863.94
19	यदि बीमा अनुषंगियों में निवशों को पूंजी में से पूर्णतया नहीं घटाया गया है और इसके बजाय कटौती की 10% की प्रारंभिक सीमा के अंतर्गत गणना में शामिल किया गया है, तो इस कारण बैंक की पूंजी में हुई वृद्धि	0.00
	जिसमें : साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें : अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	जिसमें : टियर 2 पूंजी में वृद्धि	0.00
26ख	यदि असमेकित गैर-वित्तीय अनुषंगियों की इक्विटी पूंजी में निवेशों को नहीं घटाया गया है और इसलिए जोखिम भारित है:	0.00
	(i) साझा इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	0.00
	(ii) जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि	0.00
50	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र प्रावधान	12739.78
	टियर 2 पूंजी में शामिल पात्र पुनर्मूल्यन रिजर्व्स	0.00
	पंक्ति 50 का योग	12739.78

बी 7: आय और अन्य रिजर्व एकीकरण एवं विकास निधि (₹ 5 करोड़)

डीएफ-12: 31.03.2019 को पूंजी घटक-समाधान संबंधी अपेक्षाएं

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र	संदर्भ संख्या
		रिपोर्टिंग की तारीख को	रिपोर्टिंग की तारीख को	
ए	**पूंजी एवं देयताएं**			
i	**प्रदत्त पूंजी -**	892.46	892.46	ए
	जिनमें : सीईटी 1 के लिए पात्र राशि	892.46	892.46	ए1
	जिनमें : एटी1 के लिए पात्र राशि	-	-	ए2
	आरक्षितियां एवं अधिशेष	2,33,603.20	2,25,956.22	बी
	जिनमें : सांविधिक आरक्षितियां	66,344.10	66,344.10	बी 1
	जिनमें : पूंजी आरक्षितियां	9,957.29	9,957.29	बी 2
	जिनमें : शेयर प्रीमियम	79,115.47	79,115.47	बी 3
	जिसमें से : निवेश आरक्षितियां	371.84	371.84	बी 4
	जिनमें : विदेशी मुद्रा विनिमय आरक्षितियां	7,455.38	7,454.92	बी 5
	जिनमें : पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियां	24,653.94	24,653.94	बी 6
	जिनमें :राजस्व एवं अन्य आरक्षितियां	54,033.58	50,692.58	बी 7
	जिनमें : लाभ-हानि खाते में बकाया	(8,328.40)	(12,633.92)	बी 8
	अल्प मदों पर ब्याज	6,036.99	2,615.31	
	कुल पूंजी	**2,40,532.65**	**2,29,463.99**	

(₹ करोड़ में)

		वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	समेकन की विनियामक परिधि में तुलन पत्र रिपोर्टिंग की तारीख को	संदर्भ संख्या
ii	**जमाराशियां**	29,40,541.06	29,41,936.76	
	जिनमें : बैंकों में जमाराशियां	14,957.41	14,957.41	
	जिनमें : ग्राहकों की जमाराशियां	29,25,583.65	29,26,979.35	
	जिनमें : अन्य जमाराशियां (कृपया स्पष्ट करें)			
iii	**उधार**	4,13,747.66	4,13,739.79	
	जिनमें : भा.रि.बैंक से	96,089.00	96,089.00	
	जिनमें: बैंकों से	1,61,212.56	1,61,212.56	
	जिनमें अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से	1,05,550.09	1,05,542.05	
	जिनमें: अन्य (कृपया स्पष्ट करें)	-	-	
	जिनमें : पूंजीगत लिखत	50,896.01	50,896.18	
iv	**अन्य देयताएं एवं प्रावधान**	2,93,645.69	1,49,858.99	
	जिनमें : डीटीएल से प्राप्त गुडविल			
	जिनमें: अमूर्त आस्तियों से संबंधित गुडविल			
	कुल	**38,88,467.06**	**37,34,999.53**	
बी	**आस्तियां**			
i	नकदी एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमाशेष	1,77,362.74	1,77,209.89	
	बैंकों के पास जमाशेष एवं मांग एवं अल्प सूचना पर प्राप्य धनराशि	48,149.52	46,304.01	
ii	**निवेश**	11,19,247.77	9,74,465.94	
	जिनमें: सरकारी प्रतिभूतियां	8,32,188.70	7,81,461.29	
	जिनमें: अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	14,170.88	401.34	
	जिनमें : शेयर	42,840.46	9,903.40	
	जिनमें : डिबेंचर एवं बांड	1,62,428.16	1,25,924.27	
	जिनमें: अनुषंगियां / संयुक्त उपक्रम / सहयोगी कंपनियां	3,520.05	2,234.31	
	जिसमें से : अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूच्युअल फंड्स)	64,099.52	54,541.33	
iii	**ऋण एवं अग्रिम**	22,26,853.67	22,26,680.65	
	जिनमें: बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	79,297.79	79,271.54	
	जिनमें : ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम	21,47,555.88	21,47,409.11	
iv	अचल आस्तियां	40,703.05	39,976.90	
v	अन्य आस्तियां	2,74,416.24	2,68,628.07	
	जिनमें: गुडविल	-	-	
	जिनमें: अन्य अमूर्त आस्तियां (एमएसआर को छोड़कर)	775.73	775.73	
	जिनमें: आस्थगित कर आस्तियां	10,983.19	10,938.74	सी
vi	**समेकन पर गुडविल**	1,734.07	1,734.07	डी
vii	**लाभ-हानि खाते में नामे शेष**	-	-	
	कुल आस्तियां	**38,88,467.06**	**37,34,999.53**	

	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी1): लिखत एवं आरक्षितियां	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई विनियामक पूंजी के घटक	संदर्भ संख्या (डीएफ - 12 के संदर्भ में :स्टेप 2)
1	प्रत्यक्ष रूप से जारी सामान्य शेयर पूंजी(तथा गैर-संयुक्त स्टाक कंपनियों के समरूपी) तथा संबंधित स्टाक अधिशेष हेतु पात्र	80007.93	ए1 + बी 3
2	रखी गई आय	114355.05	बी1 + बी2 + बी7 + बी 8 (#)
3	संचित अन्य व्यापक आय (तथा अन्य आरक्षितियां)	16685.46	बी5 * 75% + बी6 * 45%
4	प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी बशर्ते कि सीईटी 1 से चरणबद्ध रूप से हटाया जाएगा (केवल गैर-संयुक्त स्टाक कंपनियों के लिए लागू)	0.00	
5	अनुषंगियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्ष के पास सामान्य शेयर पूंजी (सीईटी समूह 1में दर्शाई गई राशि)	1025.92	
6	विनियामक समायोजन से पूर्व सामान्य ईक्विटी टियर 1 पूंजी	212074.36	
7	विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन	0	
8	गुडविल (संबंधित कर देयताओं के बाद)	1734.07	डी

ख7: आय एवं आरक्षितियों को इंटिग्रेशन एंड डेवलोपमेंट फंड (₹ 5 करोड़) के बाद लिया गया है तथा पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में लाभ व हानि खाते में शेष (₹ 4,818.18 करोड़)

डीएफ 16 - इक्विटी: बैंकिंग बही स्थिति के संबंध में प्रकटीकरण

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

	गुणात्मक प्रकटीकरण	
i	इक्विटी जोखिम के संदर्भ में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण में निम्नलिखित सहित:	
	• ऐसी धारिताएं जिनसे पूंजीगत लाभ होने की संभावना है और संबंध एवं कार्यनीतिक कारणों सहित अन्य उद्देश्यों के अंतर्गत ली गई धारिताओं के बीच अंतर;	सहयोगी, अनुषंगी, संयुक्त उपक्रम तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में एचटीएम श्रेणी के सभी इक्विटि निवेश किए जाते है। ये कार्यनीतिक स्वरूप के होते है।
	• बैंकिंग बही में इक्विटि धारिता के मूल्यांकन और लेखा से संबंधित महत्वपूर्ण नीतियों पर चर्चा । इनमें लेखा हेतु उपयोग किए गए तकनीकों तथा मूल्यांकन विधियां शामिल है, जिसमें मुख्य परिकल्पना तथा मूल्यांकन पर असर डालने वाली प्रथाओं तथा इनमें की गई महत्वपूर्ण परिवर्तन भी है।	एचटीएम श्रेणी के तहत रखी गई प्रतिभूतियों की लेखाविधि तथा मूल्यांकन नीति को बैंक की वार्षिक रिपोर्ट की अनुसूची 17 के पैरा सी-2 के अंतर्गत दिया गया है।

	मात्रात्मक प्रकटीकरण			(₹ करोड़ में)
1	निवेशों के तुलन पत्र में प्रकट किए गए मूल्य तथा उन निवेशों के उचित मूल्य: कोट किए गए प्रतिभूतियों के लिए, एक तुलनात्मक दृश्य, जनता को कोट किए गए मूल्य जहां पर शेयर का भाव, उचित मूल्य से वस्तुत: भिन्न है।			494.01
2	निवेश के प्रकार एवं स्वरूप, राशि सहित जिनका निम्नानुसार वर्गीकरण किया जा सकता है:			
	विवरण	**प्रकार**	**बही मूल्य (करोड़ में)**	
	सार्वजनिक रूप से कारोबार किए जानेवाले शेयर			621.00
	निजी रूप से धारित	अनुषंगियां		4990.15
		सहयोगी, अनुषंगियां और संयुक्त उपक्रम		
3	संदर्भाधीन अवधि के दौरान बिक्री एवं परिसमापन से प्राप्त संचयी लाभ (हानियां)			484.29 (लाभ)
4	न वसूल किया गया लाभ (हानियां)[13]			-6.89
5	कुल अप्रकट पुनर्मूल्यन लाभ (हानियां)[14]			निरंक
6	टियर 1 तथा/अथवा टियर 2 पूंजी में सम्मिलित उपर्युक्त अन्य कोई भी राशि			-1.43
7	बैंक की पद्धति के अनुरूप उपयुक्त इक्विटी समूहन द्वारा खंडित पूंजी, समग्र राशियां एवं उन इक्विटी निवेशों का प्रकार, जो किसी पर्यवेक्षण अंतरण अथवा विनियामक पूंजी आवश्यकताओं से संबंधित ग्रांडफादरिंग प्रावधानों के अधीन होते हैं।			0.06

डीएफ-16: 31.03.2019 को इक्विटीज-बैंकिंग बही स्थितियों के लिए

[13] न वसूल किया गया लाभ (हानियां) तुलन पत्र में स्वीकृत पर लाभ व हानि खाते के माध्यम से नही।

[14] न वसूल किया गया लाभ (हानियां) न तुलन पत्र के माध्यम से या लाभ व हानि खाते के माध्यम से स्वीकृत।

डीएफ-17: लेखा आस्तियों बनाम लीवरेज अनुपात एक्सपोजर के मापन की तुलना का सार

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

	मद	(₹ मिलियन में)
1	**प्रकाशित वित्तीय विवरणों के अनुसार कुल समेकित आस्तियां**	38884670.60
2	बैंकिंग, वित्तीय, बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जिनका लेखांकन प्रयोजन से समेकित किया जाता है, परंतु इसे विनियामक समेकन की परिधि से बाहर किया जाता है।	-1534675.30
3	परिचालन लेखांकन ढांचे के परिणामस्वरूप तुलनपत्र में हिसाब में ली गई काल्पनिक आस्तियों के लिए समायोजन पर इन्हें लीवरेज अनुपात एक्सपोजर में शामिल नहीं किया जाता है।	0
4	डेरिवेटिव्स वित्तीय लिखतों के लिए समायोजन	332117.97
5	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन (अर्थात रेपो एवं इसी प्रकार के प्रतिभूतिकृत ऋण) के लिए समायोजन	6317.41
6	तुलन पत्र इतर मदों (अर्थात तुलनपत्र इतर निवेशों के ऋण बराबर राशियों में अंतरण) के लिए समायोजन	3717918.00
7	अन्य समायोजन	-162604.90
8	लीवरेज अनुपात एक्सपोजर	41243743.78

डीएफ-18: लीवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण प्रारूप

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

	मद	(₹ मिलियन में)
	तुलन पत्र निवेशों पर	
1	तुलन पत्र मदें (डेरिवेटिव्स और एसएफटी को छोड़कर परंतु संपार्शिक सहित)	37349995.30
2	(बेसल III, टियर 1 की पूंजी के निर्धारण में घटाई गई आस्ति राशियां)	-162604.90
3	**कुल तुलन पत्र निवेश (डेरिवेटिव्स और एसएफटी को छोड़कर) (लाइन 1 और 2 का योग)**	37187390.40
	डेरिवेटिव्स निवेश	
4	सभी डेरिवेटिव्स लेनदेनों से संबंधित रिप्लेसमेंट लागत (अर्थात पात्र नकद अंतर मार्जिन का निवल)	126206.31
5	सभी डेरिवेटिव्स लेनदेनों से संबंधित पीएफई के लिए एड-आन राशियां	205911.66
6	दिए गए डेरिवेटिव्स संपार्श्विक जहां परिचालन लेखांकन ढांचे के अनुरूप तुलन पत्र आस्तियों से घटाया गया, का कुल	0
7	(डेरिवेटिव्स लेनदेनों में दिए गए नकद अंतर मार्जिन के लिए प्राप्य आस्तियों में कटौती)	0
8	(क्लाइंट क्लियर्ड ट्रेड एक्सपोजर के छूट प्राप्त सीसीपी लेग)	0
9	लिखित ऋण डेरिवेटिव्स की समायोजित प्रभावी काल्पनिक राशि	0
10	(लिखित ऋण डेरिवेटिव्स के लिए समायोजित प्रभावी काल्पनिक ऑफसेट एवं एड़-ऑन कटौतियाँ)	0
11	**कुल डेरिवेटिव्स निवेश (लाइन 4 से 10 का योग)**	332117.97
	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन निवेश	
12	विक्रय लेखांकन लेनदेनों के लिए समायोजन करने के बाद सकल एसएफटी आस्तियां (निवस को हिसाब में लिए बिना)	6317.41
13	(सकल एसएफटी आस्तियों के देय नकद एवं प्राप्य नकद की निवल राशि)	0
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर निवेश	0
15	एजेंट लेनदेन निवेश	0
16	**कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन निवेश (लाइन 12 से 15 का योग)**	6317.41
	अन्य तुलनपत्र इतर निवेश	
17	सकल काल्पनिक राशि पर तुलनपत्र इतर निवेश	14348303.00
18	(ऋण बराबर राशियों में बदलने के लिए समायोजन)	-10630385.00
19	**तुलन पत्र इतर मदें (लाइन 17 से 18 का योग)**	3717918.00
	पूंजी एवं कुल जोखिम	
20	**टियर 1 पूंजी**	2165374.60
21	**कुल निवेश (लाइन 3,11,16 एवं 19 का योग)**	41243743.78
	लीवरेज अनुपात	
22	बेसल III लीवरेज अनुपात (%)	5.25

डीएफ- समूह जोखिम: समूह जोखिम के संबंध में अतिरिक्त प्रकटीकरण

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

गुणात्मक प्रकटीकरण	
समूह की कंपनियों के संबंध में * विदेश स्थित बैंकिंग कंपनियां, देश में स्थित बैंकिंग और गैर-बैंकिंग कंपनियां	
सामान्य विवरण	
कॉरपोरेट गवर्नेंस प्रथाएं	समूह की सभी कंपनियों ने कारपोरेट गवर्नेंस प्रथाएं अपनाई हैं।
प्रकटीकरण संबंधी प्रथाएं	समूह की सभी कंपनियां प्रकटीकरण की सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाती हैं/ अनुपालन करती हैं।
समूह के भीतर किए जानेवाले लेनदेन के संबंध में स्वतंत्र नीति का पालन	स्टेट बैंक समूह के भीतर किए जानेवाले सभी लेनदेन स्वतंत्र आधार पर किए गए हैं चाहे उनकी वाणिज्यिक शर्तें हों या प्रतिभूतियों के लिए प्रावधान जैसे मामले।
विपणन, ब्रांडिंग और एसबीआई के प्रतीक चिह्न का साझा उपयोग	समूह की किसी भी कंपनी ने एसबीआई के प्रतीक चिह्न का इस ढंग से कभी उपयोग नहीं किया जिससे आम लोगों में यह संदेश जाए कि साझे विपणन, ब्रांडिंग में समूह की कंपनियों को एसबीआई का अव्यक्त समर्थन है।
वित्तीय सहायता का ब्योरा,# यदि कोई हो	समूह की किसी भी कंपनी ने समूह की किसी अन्य कंपनी को न तो कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है/ न ही प्राप्त की है।
समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की अन्य सभी बातों का पालन	समूह की जोखिम प्रबंधन नीति की सभी बातों का समूह की कंपनियों द्वारा दृढ़तापूर्वक पालन किया जाता है।

समूह के भीतर किए गए निम्नलिखित लेनदेन मोटे तौर पर 'वित्तीय सहायता' माने गए हैं:

क. समूह में एक कंपनी से दूसरी कंपनी को पूंजी या आय का अनुपयुक्त अंतरण;

ख. समूह की इकाईयों को जिस स्वतंत्र नीति का पालन करते हुए कारोबार करना होता है, उसका उल्लंघन करना;

ग. समूह के भीतर हरकंपनी की ऋण चुकौती क्षमता, नकदी की स्थिति और लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव;

घ. पूंजीगत अथवा अन्य नियामक अपेक्षाओं का पालन न करना;

ङ 'प्रति चुकौती में चूक संबंधी शर्तों' को लागू करना जिसके अंतर्गत किसी संबद्ध कंपनी द्वारा की गई वित्तीय या अन्य चूक को बैंक के अपने दायित्वों की पूर्ति में चूक माना जाता है।

* सम्मिलित कंपनियां:

बैंकिंग - विदेश में स्थित	गैर - बैंकिंग
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कनाडा)	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कैलिफोर्निया)	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लि.
एसबीआई (मॉरीशस) लि.	एसबीआई डीएफ़एचआई लि.
पीटी बैंक एसबीआई इंडोनेशिया	एसबीआई फंड्ज मैनेजमेंट प्राइवेट लि .
कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी, मॉस्को	एसबीआई जनरल इन्शुरेंस कंपनी लि.
नेपाल एसबीआई बैंक लि.	एसबीआई ग्लोबल फ़ैक्टर्स लि.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (बोत्सवाना) लि.	एसबीआई लाइफ इन्शुरेंस कंपनी लि.
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (यूके)	एसबीआई पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लि.
	एसबीआई पेंशन फंड्ज प्राइवेट लि.
	एसबीआई -एसजी ग्लोबल सेक्यूरिटीज सर्विसेज प्रा. लि.

31 मार्च 2019 को ग्लोबल सिस्टेमिकली इम्पोरटेंट बैंक (G-SIBs) के निर्धारण संकेतकों से संबंधित प्रकटीकरण बैंक की वेबसाइट http://www.sbi.co.in पर corporate-governance के अंतर्गत अलग से प्रकट किए गए हैं।